(शासकीय प्रयोगार्थ)

भाग -1

उच्च शिक्षा संदर्शिका

उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

(शासकीय प्रयोगार्थ)

भाग–1

उच्च शिक्षा संदर्शिका

उच्च शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

जून
प्रकाशन वर्ष : 2012

आभार : मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) भारत सरकार।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल) तथा
उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय, देहरादून।

संकलन : डा0 सतपाल सिंह साहनी,
सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा,
शिविर कार्यालय, देहरादून
टंकण : कु0 स्वाती

संदर्शिका में प्रकाशित सूचनाएँ व समंक निरन्तर परिवर्तनशील हैं। इन सूचनाओं व समंको का उपयोग करने से पूर्व इसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है। प्रकाशन का प्रथम प्रयास होने के कारण संदर्शिका में मुद्रण एवं प्रकाशन की त्रुटियाँ व कमियाँ होना संभावित हैं। संदर्शिका में वांछित सुधार के लिए मूल्यवान सुझाव आमंन्त्रित हैं।

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राजकीय मुद्रणालय, रुड़की से मुद्रित।

अनुक्रमणिका

भाग–1

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	
2.	प्रदेश में उच्च शिक्षा का परिदृश्य।	1–5
3.	उत्तराखण्ड में विश्वविद्यालयों की प्रास्थिति।	6–7
4.	राजकीय महाविद्यालयों की प्रास्थिति।	8–11
5.	उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के दूरभाष व ई–मेल।	12
6.	विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के दूरभाष, ई–मेल व बेवसाइट।	13–21
7.	उच्च शिक्षा से संबंधित अखिल भारतीय निकाय।	22–23
8.	सरकारी कार्यप्रणाली व व्यवहार।	24–32
9.	वित्त विभाग के कतिपय महत्वपूर्ण शासनादेशों की सूची।	33–37

भाग–2

उच्च शिक्षा से संबंधित नीतिगत शासनादेश

(क) महाविद्यालयों की स्थापना, सम्बद्धता, क्लीरेंस, उच्चीकरण व नये विषयों का प्रारम्भ

क्र.स.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 4557/15–62 (11)–3 (30)/80 दिनांक 14 मार्च 1984	1–5
2.	नये महाविद्यालय के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 2992/15–11–86–3 (30)/80 दिनांक 17 जुलाई 1986	6–8
3.	राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु आगणनों का मानकीकरण	संख्या 1052/15–17–97–118/96 दिनांक 19 मार्च 1997	9–10
4.	महाविद्यालयों तथा सार्वजनिक इमारतों एवं संस्थाओं का व्यक्ति विशेष के ऊपर नामकरण किया जाना	संख्या 280/15–17–97–40 (36)/96 दिनांक 21 मई 1997	11
5.	वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विषयों में प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता के विस्तरण हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 3940–ए/सत्तर–2–99–2(131)/99 दिनांक 30 सितम्बर 1999	12

क्र सं	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
6.	उच्च शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण	संख्या 862/सत्तर-2-2002-2(163)/99 दिनांक 13 मार्च 2000	13-14
7.	नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 1731/सत्तर-2-2000-2 (213)/99 दिनांक 27 मार्च 2000	15
8.	नये महाविद्यालयों में एल.एल.बी. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 31/सत्तर-2-2000-2(1)/2000 दिनांक 4 अप्रैल 2000	16-17
9.	महाविद्यालयों तथा सार्वजनिक इमारतों एवं संस्थाओं का व्यक्ति विशेष के ऊपर नामकरण किया जाना	संख्या 462/सत्तर-2-2002-40 (36)/96 दिनांक 10 मई 2000	18
10.	निजी संस्थाओं का नामकरण "इण्डियन इन्स्टीट्यूट/इण्टर नेशनल/नेशनल/आल इण्डिया/हिन्दुस्तान आदि शब्दों से नहीं किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 748/सत्तर-2-2000-2 (72)/2000 दिनांक 19 मई 2000	19
11.	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण	संख्या 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर 2002	20-27
12.	शासकीय निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण	संख्या : 452/XXVi (1)/2005 दिनांक 5 अप्रैल 2005	28-30
13.	प्रदेश में स्थापित होने वाले महाविद्यालयों के लिए मानकों का निर्धारण	संख्या : 752 XXiV/(6)/2006 दिनांक 17 अगस्त 2006	31
14.	अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति के लिए निरीक्षण मण्डल के गठन के संबंध में	संख्या 07/XXIV (7)/2007-6(232)06 दिनांक 11 जनवरी 2007	32-34
15.	शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यो के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण	संख्या 504/11 (1)09-04 (सामान्य)/2008 दिनांक 13 मार्च 2009	35-36

(ख) प्राध्यापकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदसृजन, अर्हताऐं, चयन प्रकिया, नियुक्ति व पदोन्नति

1.	सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालयों में गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों के सृजन हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 4557 (क) /15-82(11)-3(30)/80 दिनांक 14 मार्च 1984	37-39
2.	महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों का सृजन तथा उनके कार्यभार के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण	संख्या 4557 (ख) /15-82(11)-3 (30)/80 दिनांक 26 मई 1984	40-41
3.	नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 2992/15-11-86-3(30)/80 दिनांक 17 जुलाई 1986	42-44

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
4.	चतुर्थ श्रेणी (समूह–घ) के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह–ग) के न्यूनतम श्रेणी के लिपिकीय पदों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाया जाना	संख्या 37/1/69-का2/1995 दिनांक 08 सितम्बर 1995	45
5.	राज्य विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों के छात्रावास हेतु शिक्षणेत्तर पदों के मानक	संख्या 3893/सत्तर–4/97-46(38)/96 दिनांक 30 दिसम्बर 1997	46–47
6.	उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितिकरण नियमावली 2002	संख्या–1113/कार्मिक–2/2002 दिनांक 07 अगस्त 2002	48–49
7.	उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह'क') सेवा नियमावली 2003	संख्या 703/उच्च शिक्षा/2003–3(14) 2001 दिनांक 25 अगस्त 2003	50–58
8.	चतुर्थ श्रेणी (समूह–घ) के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह–ग) के न्यूनतम श्रेणी लिपिकीय पदों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाया जाना।	संख्या 855/कार्मिक –2/2003 दिनांक 2 सितम्बर 2003	59
9.	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 1269/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त 2004	60–61
10.	उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005	संख्या 123/XXIV(7)/2005–3(14)2001 दिनांक 9 मई 2005	62–64
11.	राजकीय महाविद्यालयों में नये विषय प्रारम्भ करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण	संख्या 410/ XXIV (7)/2005 दिनांक 19 अगस्त 2005	65
12.	उत्तम शैक्षिक अभिलेख की परिभाषा	संख्या 785/XXIV (7)/2006–03(15) 2005 दिनांक 24 अगस्त 2006	66–67
13.	विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0टी0डी0ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत् पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के लिए सेवा शर्तों का निर्धारण	संख्या 209/XXVII (7)प्र0श0/2006 दिनांक 16 नवम्बर 2006	68–71
14.	उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2008	संख्या 730/XXIV (7)23(1)/2009 दिनांक 30 जून 2009	72
15.	उत्तराखण्ड (लोक सेवाआयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए "ज्येष्ठता" एवं "श्रेष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली 2009	संख्या 478/XXX (2)/2009-3(1)/2007 दिनांक 8 जुलाई 2009	73–75
16.	वेतन समिति की संस्तुतियों के कम में समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन संरचना में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाना	संख्या 83/XXVII(7)/2010 दिनांक 07 जनवरी 2010	76–78
17.	विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन	संख्या 443/xxvii (7)/2010 दिनांक 09 फरवरी 2010	79–80
18.	मिनिस्टीरियल संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन	संख्या 183/XXX (2)/2010 दिनांक 11 फरवरी 2010	81–82

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
19	मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद को राजपत्रित पद घोषित किया जाना	संख्या 1086/ XXX (2)2010 दिनांक 27 दिसम्बर 2010	83
20	मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संशोधित स्टाफिंग पैटर्न	संख्या 1165/ XXX (2) 2010 दिनांक 27 सितम्बर 2010	84
21	उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड में मिनिस्ट्रियल संवर्ग में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 2060/XXIV (7)34(1)/2010 दिनांक 21 फरवरी 2011	85–86
22	वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में	संख्या 875/xxiv (7)न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च 2011	87–88
23	उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली 2011	संख्या 170/XXX (2)/2011 दिनांक 01 जून 2011	89–90
24	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी निर्गत विनियम 2010 के आलोक में असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) पद हेतु शैक्षिक अर्हताओं के निर्धारण के सम्बन्ध में	संख्या 1748/XXIV (7)10(1)/2010, दिनांक 30 सितम्बर 2011	91–92
25	उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011	संख्या 2015/ XXIV (7)/23(1)/2009 दिनांक 16 नवम्बर 2011	93–94

(ग) वेतनमान, व कैरियर एडवांसमेंट स्कीम

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	सम्बद्ध/सहयुक/सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों को एक कालेज छोड़कर दूसरे कालेज में कार्यभार ग्रहण करने पर पूर्व कालेज में प्राप्त वेतन संरक्षित किये जाने विषयक अधिकार का प्रतिनिधायन	संख्या 4247/15–11–87–18 (51)/72 दिनांक 26 दिसम्बर 1988	95–96
2.	राज्य विश्वविद्यालय में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर विधिवत चयन एवं नियुक्ति अध्यापकों की नव नियुक्ति के समय पूर्व संस्थाओं में उनके द्वारा प्राप्त वेतनवृद्धि की तिथि का संरक्षण	संख्या 3937/15 (15)/95–4 (1)/80 दिनांक 10 जनवरी 1996	97
3.	कैरियर एडवान्समेंट स्कीम लागू करने के संबंध में परिनियम बनाया जाना	संख्या 4078/मा0सं0वि0/2001–3(163)/2001 दिनांक 6 दिसम्बर 2001	98–103
4.	सम्बद्ध/सहयुक्त/सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने पर पूर्व महाविद्यालय में प्राप्त वेतन का संरक्षण	संख्या 12/चौबिस (6)–44–2006 दिनांक 18 दिसम्बर 2006	104–105
5.	वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 25 अक्टूबर 2005 का स्पष्टीकरण	संख्या 395– XXIV (7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008	106–114

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एव दिनांक	पृष्ठ संख्या
6.	राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या 395/XXVii (7)/2008 स्पष्टीकरण	संख्या : 27/ XXVii (7)(स्प0-1)/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009	115–117
7.	राज्य विश्वविद्यालय रा0 महा0 एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महा0 के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्ग को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में यू0जी0सी0 के अनुरुप पदनाम परिवर्तन एवं वेतनमानों को पुनरीक्षित किए जाने के सम्बन्ध में	संख्या 138/ XXVII (7)/2009 दिनांक 11 नवम्बर 2009	118–125
8.	प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को यू0जी0सी0 द्वारा संस्तुत कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 1332/ XXVII (7) 24 (5)/2009 दिनांक 06 अगस्त 2010	126–127
9.	कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अर्न्तगत अभिविन्यास/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि विस्तारण के सम्बन्ध में	संख्या 1516/XXVII (7) 43(1)/2010 दिनांक 26 नवम्बर 2010	128
10.	राज्य कर्मचारियों/शिक्षकों (सहायता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) को दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या 395/ XXVII (7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 का स्पष्टीकरण	संख्या 731/XXVII (7)/2010 दिनांक 08 दिसम्बर 2010	129–130
11.	उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड में मिनिस्ट्रियल संवर्ग में संशोधित संवर्ग में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 2050/(7)3(1)/2010 दिनांक 21 फरवरी 2011	131–132
12.	राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) से संबंधित शासनादेश संख्या 10/ XXVII (7) 40 (IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल 2011 के संलग्नक के उदाहरण-1 का स्पष्टीकरण	संख्या 65/XXVII (7) 40 (IX)/2011 दिनांक 04 अगस्त 2011	133–135
13.	सहायता प्राप्त शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति	संख्या 130/XXVII (7) 38/2011 दिनांक 19 अगस्त 2011	136–140

(घ) उपस्थिति, अनुशासन व शुल्क

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एव दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	शैक्षिक पंचांग का अनुपालन, छात्रों की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थित एवं अध्यापकों की प्राइवेट ट्यूशन/कोचिंग पर रोक	संख्या 2183/सत्तर-1-97-15(3)/97 दिनांक 12 नवम्बर 1997	141
2.	प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के गैर स्व0 वित्तपोषित अर्थात् सामान्य शुल्क ढांचे का पुनरीक्षण	संख्या 1991/70-2/98-16 (49)/98 दिनांक 17 अक्टूबर 1998	142–143
3.	राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रों से लिये जाने वाले मंहगाई और प्रयोगशाला शुल्क का निर्धारण	संख्या 2806/70-4/2000-46 (50)99 दिनांक 10 अगस्त 2000	144
4.	राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में एम0एड0/बी0एड0 आदि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों शिक्षण शुल्क का निर्धारण	संख्या 2807/70-4/2000-46 (50)/99 दिनांक 10 अगस्त 2000	145

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
5.	विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रैगिंग को प्रतिबन्धित किया जाना	संख्या 1610/सत्तर-1-2000 दिनांक 19 अगस्त 2000	146
6.	विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में द्वितीय पाली/सांध्यकालीन कक्षायें प्रारम्भ किया जाना	संख्या 2542/मा0सं0वि0/2001-3 (100)/2001 दिनांक 24 जुलाई 2001	147–148
7.	महाविद्यालय स्तर पर बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 50/उच्च शिक्षा/2003 दिनांक 12 मई 2003	149
8.	राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 411/XXIV (7) यो0-12/2010 दिनांक 16 मार्च 2011	150

(च) स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 1960/सत्तर-2-97-2(85)/97 दिनांक 11 नवम्बर 1997	151–153
2.	निजी प्रबन्ध तन्त्रों द्वारा असेवित क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान के लिए मानकों का निर्धारण	संख्या 35 /सत्तर-6/99-77/98 दिनांक 19 मई 1999	154–155
3.	विश्वविद्यालयों/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों के संबंध में मानक	संख्या 1753/70-4/99-7(7)/94 दिनांक 28 जून 1999	156–157
4.	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मनकों का निर्धारण	संख्या 4228 ए/सत्तर-2-99-2-(85)/97 दिनांक 30 अक्टूबर 1999	158–159
5.	विश्वविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक /शिक्षणेत्तर पदों के संबंध में मानक	संख्या : 0214/70-4/2000-7 (7)/94 दिनांक 4 फरवरी 2000	160–161
6.	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मनकों का निर्धारण	संख्या : 2443/सत्तर-2-2000-2 (85)/97 दिनांक 9 मई 2000	162–163
7.	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण	संख्या 2211/सत्तर-2-2000-2-(239)98टी0सी0 दिनांक 20 मई 2000	164
8.	असहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के असहायता प्राप्त (वित्त विहीन) पाठ्यक्रमों को स्ववित्त पोषित आधार पर चलाये जाने की स्वीकृति	संख्या 1560 (1)/सत्तर-6/2000-51/99 दिनांक 30 अगस्त 2000	165
9.	निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा असेवित क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान के लिए मानकों का निर्धारण	संख्या 1109/सत्तर-6/2000-77/98 टी0सी0 दिनांक 1 सितम्बर 2000	166
10.	विधि, बी0एड0 आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने के सम्बन्ध में	संख्या 338/ XXIV-7/2005 दिनांक 25 अप्रैल 2005	167–168

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
11.	निजी संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण एवं प्रवेश परीक्षा समिति के सदस्यों को मानदेय एवं अन्य व्ययों का भुगतान	संख्या : 46 xxiv (6)/2006 दिनांक 3 नवम्बर 2006	169
12.	बी.एड., बी.पी.एड. को व्यावसायिक पाठ्यकम घोषित किया जाना	सख्या 46/xxiv (7) (6)/2006 दिनांक 27 नवम्बर 2006	170
13.	प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित आधार पर बी0एड0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश	संख्या 33/ xxiv (7)/2008-09 दिनांक 19 सितम्बर 2008	171-172
14.	उत्तराखण्ड अनानुदानिक निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम संशोधन अधिनियम 2010)	संख्या 145/XXXVII (3)/13(1)/2010 दिनांक 26 मार्च 2010	173-175
15.	राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठयकम संचालन हेतु शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की व्यवस्था हेतु नवीन मानदण्डों के निर्धारण के संबंध में	संख्या : 371 /xxiv (7)/51 (3)/2010 दिनांक 7 अप्रैल 2010	176-182

(छ:) अधिवर्षता, सत्रांत लाभ, अशंदान योजना

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यो को अधिवर्षता आयु के बाद उन्हें दिये गये सेवा विस्तरण अवधि की गणना उनकी पेंशन के निर्धारण में करने के संबंध में	संख्या : 128/15-1-2002 दिनांक 9 अप्रैल 1992	183
2.	राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सुविधा	संख्या 503/सत्तर-6/98-3(7)/97 पी0सी दिनांक 21 मई 1998	184-185
3.	9 नवम्बर 2000 या तदुपरान्त सेवानिवृत्त उत्तरांचल राज्य हेतु नियुक्त या विकल्प देने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवानैवृतिक लाभ स्वीकृत करने के सम्बन्ध में	संख्या : 0045/रा0वि0अ0/कैम्प/2000 दिनांक 29 दिसम्बर 2000	186-187
4.	विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 2613/मा0स0वि0/2001 दिनांक 3 अक्टूबर 2001	188
5.	राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ता/प्राचार्यो को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवा विस्तरण	संख्या 130/उच्च शिक्षा/2002-3(1)/2000 दिनांक 06 मार्च 2002	189
6.	राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किये जाने की स्वीकृति	संख्या : 806 (1)/का0-2-2002 दिनांक 15 जून 2002	190
7.	राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं एवं प्राचार्यो को अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के उपरान्त सेवा विस्तरण	संख्या : 582/ xxiv-1/2004-3(1) 2000 दिनांक 2 दिसम्बर-2004	191
8.	राज्य के विश्व विद्यालय कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मियों को अधिवर्षता आयु पर समान रुप से सेवानैवृतिक लाभों की अनुमन्यता	संख्या 220/xvii (3) अ.आ./2005 दिनांक 18 जून 2005	192-193

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
9.	राज्य के विश्व विद्यालय कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्मियों को अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता	संख्या 248/XXVII (3) अ.आ./2005 दिनांक 25 जून 2005	194—195
10.	राष्ट्रीय स्तर की फैलशिप/पुरस्कार प्राप्त प्राध्यापकों की अधिवर्षता आयु में वृद्धि के सम्बन्ध में	संख्या : 583/XXIV (6)/2005 दिनांक 30 जून 2005	196—197
11.	सेवा निवृत्ति की तिथि	संख्या : 507/XXVII (7)/2010 दिनांक 30 मार्च 2010	198
12.	अधिसूचना संख्या21/XXVII (7)(7) अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 द्वारा लागू नय परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अनुसार चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कृषि विभाग के शिक्षण संस्थाओं में लागू करने के विषय में व्यवस्था	संख्या : 832/XXVII (7)/2011 दिनांक 4 मार्च 2011	199—200

(ज) सेवाऐं, आरक्षण, अवकाश, प्रशिक्षण, व सेवा विस्तरण

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	आकस्मिक अवकाश के आरम्भ या अन्त में छुट्टियों या अन्य अकार्य दिवसों (Non Working Days) का जोड़ा जाना	संख्या : 3/1—1979 कार्मिक—1 दिनांक 18 अक्टूबर 1979	201
2.	परिवार/नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश	संख्या : 3/1—1981 कार्मिक—1 दिनांक 1 दिसम्बर 1981	202—203
3.	गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों में आरक्षण के सम्बन्ध में	संख्या 1848/15—84 (11)/14(1)/82 दिनांक 28 मई 1984	204
4.	महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा शिक्षण तथा परीक्षा कार्य किया जाना	संख्या 3645/15—84 (11)—14 (22)/82 दिनांक 30 नवम्बर 1984	205
5.	विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित आचार संहिता एवं कार्य निष्पादन मूल्यांकन आख्या का अनुपालन	संख्या 1974/15 (11)/95—14 (2)/95 दिनांक 24 मई 1995	206
6.	प्रसूति अवकाश सीमा में वृद्धि	संख्या : सा—4—394/दस—99—216/79 दिनांक 4 जून 1999	207
7.	अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में वृद्धि	संख्या सा—4—392/दस—99—203/86 दिनांक 4 जुलाई 1999	208
8.	राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपकमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में	संख्या : 1144/कार्मिक—2—2001—53(1)2001 दिनांक 18 जुलाई 2001	209
9.	पदोन्नतियों में आरक्षण नीति लागू करने हेतु रोस्टर	संख्या : 1455/कार्मिक—2—2001 दिनांक 31 अगस्त 2001	210—211
10.	सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर	संख्या : 1464/कार्मिक—2—2001 दिनांक 31 अगस्त 2001	212—213

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
11.	विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा विदेश में शोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में	संख्या : 745/मा0सं0वि0/2002-03 दिनांक 01 अगस्त 2002	214
12.	विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवको को अनुमति प्रदान किया जाना	संख्या : 1009/कार्मिक-2/2003 दिनांक 8 जुलाई 2003	215-216
13.	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या : 1270/तीस-2 /2004 दिनांक 11 अगस्त 2004	217-218
14.	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम जेल गये आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा	संख्या : 1058/ XXXii /2006 दिनांक 7 अप्रैल 2006	219
15.	राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण दिये जाने के संबंध में	संख्या : 04/ XXX (2)/2006 दिनांक 13 जून 2006	220
16.	उत्तरांचल की राज्याधीन सेवाओं/निगमों/सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में	संख्या : 1968/ XXX (2)/2006 दिनांक 24 जुलाई 2006	221-222
17.	राज्य सरकार के अधीन सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों तथा [illegible] संस्थाओं में सेवायोजन में विशिष्ट खिलाड़ियों को क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में	संख्या : 2461/ XXX (2)/2006 दिनांक 6 अक्टूबर 2006	223-226
[illegible]	[illegible] राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को [illegible] प्रदान करने के सम्बन्ध में	संख्या 4020/ XX(4)-7/उ0आन्दो0/2006 दिनांक 8 नवम्बर 2006	227-229
[illegible]	[illegible] राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को [illegible] प्रदान किये जाने के संबंध में	संख्या : 776/XX(4)26/उ0 आ0/2006-08 दिनांक 22 अक्टूबर 2008	230
[illegible]	[illegible] खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम [illegible] में संशोधन	संख्या : 737/XXVii (7)/2010 दिनांक 27 अक्टूबर 2010	231-232
[illegible]	[illegible] सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के [illegible] गणना करते हुए बैकलॉग को भरे जाने हेतु विशेष भर्ती [illegible]	संख्या : 1905/ XXX (2)/2010 दिनांक 17 जनवरी 2011	233-234
[illegible]	[illegible] मानदण्ड	संख्या 385/XXX (2)/11-55(46)/2004 दिनांक 18 मार्च 2011	235
[illegible]	[illegible] की सरकारी सेवक महिला को बाल्य देखभाल [illegible]	संख्या : 11/XXVii (7)34/2011 दिनांक 30 मई 2011	236-237
[illegible]	[illegible] में हाईस्कूल उत्तीर्ण कार्मिकों के लिए 15 प्रतिशत [illegible] उत्तीर्ण कार्मिकों के लिए 10 प्रतिशत के [illegible] के सम्बन्ध	संख्या : 966/XXX (2)/2011 दिनांक 29 जून 2011	238-239

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
	(झ) अशासकीय महाविद्यालय		
1.	गैर सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों का अनुमोदन	संख्या 9176/15-77-11-18 (190)/76 दिनांक 12 अप्रैल 1979	240
2.	प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय के छात्रों से ली जाने वाली छात्र निधियों का रख-रखाव एवं उपयोग	संख्या 5125/15-11-86-4 ए(45)/85 दिनांक 10 जुलाई 1986	241-242
3.	अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में छात्रों से शुल्क बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जाना	संख्या 8202/15-112-86-4 ए(46)/85 दिनांक 19 जुलाई 1986	243
4.	रिक्त पदों के प्रति अनुज्ञा के सम्बन्ध में	संख्या डिग्री अर्थ/1989-2464/1988 दिनांक 6 मई 1988	244
5.	राज्य निधि के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के सेवा निवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशनादि के भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण	संख्या 1212/15-19-94-17 (34)/94 दिनांक 11 अगस्त 1994	245-246
6.	प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में	संख्या 296/15-19-95-3 (2)/93 दिनांक 4 मार्च 1995	247-248
7.	सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के मृतक शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित किया जाना	संख्या 2215/15-19-95-1/93 दिनांक 21 नवम्बर 1995	249-250
8.	अशासकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष/उपपुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर चयन/अनुमोदन से संबंधित आवश्यक निर्देश।	डिग्री अर्थ-1/16703-17218/95-96 दिनांक 2 फरवरी 1996	251-253
9.	सम्बद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की किसी कक्षा में नया सेक्शन खोलने हेतु अनुज्ञा दिये जाने से पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना	संख्या 538/सत्तर-2-99-2 (225)/98 दिनांक 26 फरवरी 1999	254
10.	राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रों से लिए जाने वाले महंगाई शुल्क और प्रयोगशाला शुल्क का निर्धारण	संख्या 2806/70-4/2000-46(50)/99 दिनांक 10 अगस्त 2000	255
11.	उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय के संघटक/सम्बद्ध/सहयुक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त प्राचार्य के पद पर सत्रान्त लाभ दिए जाने पर प्रतिबंध विषयक	संख्या 1587/सत्तर-2-2001-16(129)/2001 दिनांक 2 जून 2001	256
12.	उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय के संघटक/सम्बद्ध/सहयुक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त प्राचार्य के पद पर सत्रान्त लाभ दिए जाने पर प्रतिबन्ध विषयक	संख्या 2493/सत्तर-2-2001-16(129)/2001 दिनांक 5 जुलाई 2001	25
13.	अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में मृतक आश्रितों के सेवा योजन के सम्बन्ध में	संख्या 2452/मा0सं0वि0/2001-3 (35)/2001 दिनांक 10 जुलाई 2001	2

क्र०सं० / विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
14. अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय के आधार पर शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिया जाना	संख्या 661/उच्च शिक्षा/2002 दिनांक 12 जुलाई 2002	259
15. अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय के आधार पर शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिया जाना	संख्या 539/उच्च शिक्षा/2003-3(6)2000 दिनांक 02 जुलाई 2003	260
16. अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य/प्रवक्ता के रिक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में	संख्या : 1059/उ0शि0/2003 दिनांक 10 दिसम्बर 2003	261–262
17. सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता एवं प्राचार्य के रिक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में	संख्या 463/ XXIV (7)/2005 दिनांक 25 मई 2005	263–265
18. प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किए जाने हेतु मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में	संख्या 218 XXIV (6)/6(76) 06–2006 दिनांक 5 अप्रैल 2006	266–269
19. अशासकीय महाविद्यालयों के सेवा–निवृत्त शिक्षकों को पेंशन हेतु विकल्प परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य किये जाने के संबंध में	संख्या : 237/ XXVII (7)/2006 दिनांक 8 दिसम्बर 2006	270–272
20. अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में संशोधित बचतमय लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू किया जाना	संख्या : 44/XXIV (7)/2008 दिनांक 6 नवम्बर 2008	273–275
21. अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में संशोधित बचतमय लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना किया जाना	संख्या : 7073–91/2008–09 दिनांक 15 नवम्बर 2008	276
22. शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के रिक्त पदों के प्रति आरक्षण की पूर्ति किये जाने सम्बन्धी	संख्या 440–56/2011–12 दिनांक 19 जुलाई 2011	277

(ट) अन्य विषय : विजिटिंग/संविदा प्रवक्ता, निजी विश्वविद्यालय, प्रत्यायन, प्रोत्साहन, अंकेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण, स्लेट, उपनल, शिकायती पत्र, न्यायलीय वाद इत्यादि

1. अभिलेखों का निर्दान	संख्या 3339/तैंतालीस–1–92–37(1)/84 दिनांक 30 जनवरी 1993	278–284
2. राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजनाओं पर मैचिंग ग्राण्ट	संख्या 2638/पन्द्रह (15)94–46(20)94 दिनांक 23 जुलाई 1994	285
3. विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सेवा शर्तें	संख्या 2216/सत्तर–1–98–15 (1)/95 दिनांक 18 जून 1999	286
4. राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजनाओं पर उ0प्र0 शासन द्वारा मैचिंग ग्रांट/वचनबद्धता उपलब्ध कराया जाना	संख्या 736/70–4/2000–46(20)/94 दिनांक 15 मार्च 2000	287

क्र.सं. विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
5. उच्च शिक्षा में रिक्त शिक्षकों के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी की व्यवस्था	संख्या 457/मा0सं0वि0/2001–3(6)/2000 दिनांक 27 जनवरी 2001	288
6. एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र धारकों के लिए विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं में आगामी शिक्षा सत्र में प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था	संख्या 2269/मा0सं0वि0/2(200)/2001 दिनांक 7 जून 2001	289
7. उच्च शिक्षा निदेशालय का गठन एवं पदों का सृजन	संख्या 1721/मा.सं.वि./2001–3 (35)2001 दिनांक 17 जुलाई 2001	290–291
8. उच्च शिक्षा में रिक्त शिक्षकों के पदो पर विजिटिंग फैकल्टी की व्यवस्था	संख्या 457/मासं0वि0/2001 दिनांक 09 अगस्त 2001	292
9. विजिटिंग फैकल्टी के शिक्षकों को मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में	संख्या 131 /उच्च शिक्षा/2002 दिनांक 7 मार्च 2002	293
10. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी (विजिटिंग लैक्चरर) की व्यवस्था	संख्या 624/उच्च शिक्षा/2002–3(18)/2002 दिनांक 12 जुलाई 2002	294
11. राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को अन्यत्र सेवा मे सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में	संख्या : 796/उच्च शिक्षा/2002 दिनांक 24 सितम्बर 2002	295
12. प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष रखे गये विजिटिंग लेक्चरर/निश्चित मानदेय शिक्षकों के मानदेय का निर्धारण	संख्या 1091/उच्च शिक्षा/2002 दिनांक 25 नवम्बर 2002	296
13. देहरादून में निदेशक उच्च शिक्षा के शिविर कार्यालय की स्थापना करते हुए उप निदेशक के कार्यो एवं दायित्वों का निर्धारण	संख्या : 1208/उच्च शिक्षा/2002 दिनांक 09 दिसम्बर 2002	297–298
14. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग लैक्चरर को परीक्षा अवधि तक मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में	संख्या 276/उच्च शिक्षा/2003 दिनांक 03 जून 2003	299
15. अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय के आधार पर शिक्षकों से अध्यापना कार्य लिया जाना	संख्या 612/उच्च शिक्षा/2003 दिनांक 10 जुलाई 2003	300–301
16. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी (विजिटिंग लैक्चरर) की व्यवस्था	संख्या 576/उच्च शिक्षा/2003 दिनांक 10 जुलाई 2003	302–303
17. प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में	संख्या 584/उ0शि0/2003 दिनांक 16 जुलाई 2003	304–305
18. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग लैक्चरर की व्यवस्था	संख्या 679/उ0शि0/2003 दिनांक 22 जुलाई 2003	306
19. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में	संख्या 666/उ0शि0/2003 दिनांक 02 अगस्त 2003	307–308
20. दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता	संख्या 810 xxiv–1/2004 दिनांक 27 सितम्बर 2004	309–310

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
21.	मा0 उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेश का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 820/ XXiv-1/2004 दिनांक 20 अक्टूबर 2004	311-312
22.	प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी (विजिटिंग लैक्चरर) की व्यवस्था	संख्या 941/XXiv -1/2004-3(8)2000 दिनांक 03 नवम्बर 2004	313
23.	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम ,2005	संख्या 421/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 दिनांक 31 जनवरी 2005	314-315
24.	समस्त प्रमाण पत्रों एवं प्रलेखों (Documents) में माता का नाम भी सम्मिलित किया जाना	संख्या 1041/ XXXi (13)G/2005 दिनांक 21 दिसम्बर 2005	316
25.	लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी का नामन	संख्या 190 XXiv (7)/2006 दिनांक 08 मार्च 2006	317
26.	प्रदेश के रा0 महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर विजिटिंग प्रवक्ताओं को संविदा पर आमंत्रित करने के सम्बन्ध में	संख्या 755/ XXiv (7)/2006 दिनांक 22 अगस्त 2006	318
27.	प्रदेश के रा0 महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर आमंत्रित करने के सम्बन्ध में	संख्या 756/ XXiv (7)/2006 दिनांक 10 नवम्बर 2006	319
28.	मा0 उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों में संस्थित याचिकाओं की मॉनिटरिंग करने के सम्बन्ध में	संख्या 816/ XXiv (7)/2006 दिनांक 14 नवम्बर 2006	320
29.	रा0 महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जनपदवार संविदा पर शिक्षकों की व्यवस्था	संख्या 148/XXiv(7)/2006-3(6) 2000 दिनांक 29 नवम्बर 2006	321-322
30.	उच्च शिक्षा निदेशालय का ढांचा का पुर्नगठन	संख्या 415/ XXIV (7)3(1)/2008 दिनांक 01 दिसम्बर 2008	323-325
31.	सरकारी धन के विभिन्न बैंकों में जमा विषयक सूचना के प्रेषण के सम्बन्ध में	संख्या : 99/XXVii (14)/200 दिनांक 3 सितम्बर 2009	326-328
32.	वर्ष 2001 से कार्यरत 12 अनर्ह विजिटिंग प्रवक्ताओं हेतु सामान्य 45 प्रतिशत एवं अनुसूचितजाति के विजिटिंग प्रवक्ताओं के लिए 40 प्रतिशत अर्हता अंकों में शिथिलीकरण विषयक	संख्या 947/XXiv (7)/2(1)08/2009 दिनांक 29 सितम्बर 2009	329-330
33.	उत्तराखण्ड राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत संविदा, अंशकालिक एवं विजिटिंग प्रवक्ताओं का मानदेय [illegible] एक समान किया जाना	संख्या 948/XXiv (7)/1(1)08/2009 दिनांक 30 सितम्बर 2009	331-332
34.	[illegible] प्रकार के शासकीय विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से [illegible] जाने विषयक	संख्या 373/सू0 एवं लो0सं0वि0(विज्ञापन)52/2004 दिनांक 31 मई 2010	333-334
35.	[illegible] क ख ग एवं घ के कार्मिकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती [illegible] निस्तारण	संख्या : 690/XXX(2)/2010 दिनांक 23 जून 2010	335

क्र.स.	विषय	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
36.	चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक प्रविष्टियां, सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करना, उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन और प्रत्यावेदन निस्तारण की प्रक्रिया	संख्या : 1450/XXX(2)/2010 दिनांक 30 सितम्बर 2010	336–337
37.	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन विषयक शासनादेश संख्या 40/ xxvii (7) /स्वाप0क0 /2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 में संशोधन	संख्या 736/xxvii (7)/स्वाप0क0/2010 दिनांक 27 अक्टूबर 2010	338
38.	अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन	संख्या : 737/ xxvii (7)/2010 दिनांक 27 अक्टूबर 2010	339
39.	उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के राजकीय वाहन चालकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन वर्दी एवं सिलाई की दरें राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों/चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के समान अनुमन्य किया जाना	संख्या 2740/vii-1-10 17–उद्योग/2004 दिनांक 12 जनवरी 2011	340–341
40.	उत्तराखण्ड हैल्थ स्मार्ट कार्ड (नकद रहित) योजना को कियान्वित किये जाने हेतु स्मार्ट कार्ड प्रकोष्ठ एवं उसके ढांचे का गठन किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 59/XXVIII-4-2011-04/2008 दिनांक 24 जनवरी 2011	342–343
41.	राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वर्तमान शिक्षा सत्र 2011–12 हेतु प्रवक्ताओं को संविदान्तर्गत पुनः आमंत्रित किये जाने के संबंध में	संख्या : 914/ xxiv (7)/31(1)/2010 दिनांक 21 जून 2011	344
42.	राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु नीति निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या TC/68 XXIV/(6)/2011 दिनांक 14 नवम्बर 2011	345–357
43	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के वेतनमान एवं भत्तों का पुनरीक्षण	संख्या 596/xvii-3/2011-09(17)/2004 दिनांक 18 नवम्बर 2011	358–362
44.	राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित नीति में संशोधन के सम्बन्ध में	संख्या 68/XXIV (6)/2012 दिनांक 13 दिसम्बर 2011	363–364
45.	राज्य निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु नीति निर्धारण हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर 2011 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में	संख्या 68/ XXIV (6)/2012 दिनांक 18 मई 2012	365–366
46.	राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरुप प्रपत्रों का निर्धारण	संख्या 68/ XXIV (6)/2012 दिनांक 28 मई 2012	367–378

प्रस्तावना

मानव के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। यह निर्विवाद सत्य है कि ज्ञान, स्वास्थ्य, चिन्तन, आध्यात्म इत्यादि समस्त विधाओं के विकास का साधन शिक्षा ही है। इसलिए शिक्षा को किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास का सर्वोत्तम मापदण्ड माना गया है। नवम्बर 2000 में उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के पश्चात् प्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक एंव आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणवत्तापरक व रोजगारपरक शिक्षा के विकास व विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। शासन का प्रयास है कि, बदलते हुए परिवेश के अनुरुप उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के गुणात्मक विकास पर बल दिया जाय तथा प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यार्थियों को वांछित शिक्षण सुविधाऐं उपलब्ध कराई जायें। तदनुसार प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास हेतु गुणवत्ता, प्रासंगिकता, समता व कुशल प्रबन्ध के अन्तर्गत विभिन्न प्राथमिकताऐं निर्धारित की गई हैं। इन प्राथमिकताओं को कार्यरुप में परिणित करने के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था का संचालन शासकीय नीति व दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। विभागीय कार्यो के सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए भी तद्विषयक नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों व शासनादेशों का सम्यक ज्ञान अति आवश्यक है। अतः शासकीय दिशा निर्देशों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा से संबधित नीतिगत शासनादेशों, वित्त व कार्मिक विभाग के महत्वपूर्ण निर्देशों के साथ–2 प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की महत्वपूर्ण सूचनाओं को संकलित कर संदर्शिका के रुप में प्रकाशित किया जा रहा है। डॉ0 सतपाल सिंह साहनी, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून द्वारा स्वेच्छापूर्वक यह कार्य सम्पादित कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा है यह सन्दर्शिका विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अतिरिक्त, उच्च शिक्षा विभाग से संबधित विभागों व कार्यालयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

राकेश शर्मा
प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा का परिदृश्य

उच्च शिक्षा किसी भी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का एक महत्वपूर्ण दर्पण है। मानवीय संसाधनों के सर्वागीण विकास में उच्च शिक्षा की अहम् भूमिका है। यद्यपि दुनिया के शीर्षस्थ 100 विश्वविद्यालयों की सूची में किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय का नाम नही है, तथापि भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था को अमेरिका व चीन के पश्चात् विश्व में तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था होने का गौरव प्राप्त है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा के विकास में अनेक कीर्तिमान स्थापित करने के बाद वर्तमान में उच्च शिक्षा एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर हो रही है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के संवैधानिक अधिकार, युवा वर्ग की बढ़ती हुई जनसंख्या, शिक्षा के विस्तार व व्यवसायीकरण तथा निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई रुचि ने उच्च शिक्षा के सम्मुख अभूतपूर्व अवसर व चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं। एक ओर, उच्च शिक्षा में प्रवेश की भारी माँग है, वहीं दूसरी ओर, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या चिंतनीय दर से बढ़ रही है। इससे प्रमाणित होता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्र की रोजगार जरुरतों को पूर्ण करने में पूर्णतः सफल नही रही है। समंकों की दृष्टि से राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर पर उच्च शिक्षा का विहंगम परिदृश्य परिलक्षित होता है :–

भारतवर्ष

1.	कुल विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	611
2.	कुल महाविद्यालय व शिक्षण संस्थान	31,324
3.	यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय	13,478
4.	नैक द्वारा प्रत्यानित विश्वविद्यालय व महाविद्यालय	1,490
5.	कुल छात्र नामांकन	1,46,24,990
6.	विश्वविद्यालयों में छात्र नामांकन	19,18,833
7.	महाविद्यालयों में छात्र नामांकन	1,27,06,157
8.	सकल नामांकन अनुपात	15%
9.	महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के कुल स्वीकृत पद	5,98,723
10.	ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का परिव्यय	रु0 46,449 करोड़

उत्तराखण्ड

1.	कुल विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	24
2.	कुल महाविद्यालय व शिक्षण संस्थान	378
3.	यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय	47
4.	नैक द्वारा प्रत्यानित विश्वविद्यालय व महाविद्यालय	32

5.	कुल छात्र नामांकन	2,36,016
6.	विश्वविद्यालयों परिसरों में छात्र नामांकन	39,214
7.	महाविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में छात्र नामांकन	1,96,802
8.	सकल नामांकन अनुपात	23.85%
9.	राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के कुल स्वीकृत पद	1885
10.	ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का परिव्यय	रु0 389 करोड़

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अविभाजित उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड का गौरवशाली इतिहास रहा है। नवगठित उत्तराखण्ड राज्य में 21 विश्वविद्यालयों, 70 राजकीय महाविद्यालयों, 16 अनुदानित महाविद्यालयों, तथा 292 निजी शिक्षण संस्थानों में प्रदेश के 2,36,016 विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, अनुदानित महाविद्यालयों एवं निजी शिक्षण संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।

(अ) विश्वविद्यालय :

विश्वविद्यालयों के अर्न्तगत हेमवती नन्दन बहुगुणा (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय का सम्बन्ध मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से है जबकि 10 राज्य विश्वविद्यालयों में कुमाऊँ, दून, मुक्त, विधि व प0 दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग से है। अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में तकनीकी, संस्कृत, आयुर्वेद, विश्वविद्यालय क्रमशः तकनीकी शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग से सम्बन्धित हैं। राज्य विश्वविद्यालयों में ही गो0ब0प0कृ0प्रौ0 तथा उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध कृषि विभाग से है। गुरुकुल कांगड़ी, एफ0आर0आई0, ग्राफिक एरा व एच0आई0एच0टी0 सहित 4 विश्वविद्यालय, सम (डीम्ड) विश्वविद्यालय के रुप में स्थापित हैं जिसमें से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का वित्तपोषण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। 6 निजी विश्वविद्यालयों के लिए पृथक–पृथक अधिनियम पारित किये गये हैं। प्रदेश में 15 नये निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुऐ हैं जिसमें से 4 विश्वविद्यालयों को एल0ओ0आई0 जारी किया जा चुका है। प्रदेश में स्थित सभी विश्वविद्यालयों के 24 परिसरों में 39,214 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा 1,35,697 निजी परीक्षार्थी स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालयों में पंजीकृत हैं। स्वायत्तशासी संस्था होने के कारण विश्वविद्यालयों का प्रबन्ध व संचालन कार्य–परिषदों के माध्यम से किया जाता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा राज्य विश्वविद्यालयों का वित्तपोषण क्रमशः भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय, यू0जी0सी0 अधिनियम की धारा 12(B) से आच्छादित होने के कारण यू0जी0सी0 से भी अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

(ब) राजकीय महाविद्यालय :

प्रदेश में स्थित 70 राजकीय महाविद्यालयों में 53,951 छात्राऐं (57. 6%) तथा 39,672 छात्र (44.4%)उच्च शिक्षा से संबधित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं जिसमें से 83% स्नातक स्तर पर तथा 17% स्नातकोत्तर स्तर पर पंजीकृत हैं। संकायों के आधार पर कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा अन्य संकायों में कमश : 70% , 14% , 15% तथा 1% विद्यार्थी पंजीकृत हैं। दुर्गम तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य गठन के पश्चात् 36 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। प्रदेश के 33 राजकीय महाविद्यालय यू0जी0सी0 की धारा 2(f)/12(B) से आच्छादित हैं तथा 19 महाविद्यालयों द्वारा नैक से प्रत्यायन भी कराया गया है। प्रदेश के 56 (80%) राजकीय महाविद्यालय पर्वतीय अंचलों में स्थित है तथा गढ़वाल व कुमायूँ मण्डलों में स्थित राजकीय महाविद्यालयों की संख्या कमशः 39 व 31 है। उच्च शिक्षा निदेशालय तथा राजकीय महाविद्यालयों में कार्मिकों के कुल सृजित पदों (2905) के विरुद्ध 1610 (55%) पद रिक्त हैं। 35 महाविद्यालयों के पास स्वंय के भवन हैं व 9 महाविद्यालयों के भवन निर्माण/हस्तान्तरण प्रकियाधीन हैं तथा शेष 26 महाविद्यालय, अन्य शासकीय/अशासकीय भवनों से संचालित किये जा रहे हैं। राजकीय महाविद्यालयों का प्रबन्ध संचालन शासन के दिशा–निर्देशों के अर्न्तगत उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है।

(स) अनुदानित महाविद्यालय :

प्रदेश में 16 अनुदानित महाविद्यालय हैं जिनमें प्राध्यापकों व कर्मचारियों के कमशः 519 व 547 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 363 व 426 पदों पर कार्मिक कार्यरत हैं। कुमायूँ मण्डल के अल्मोड़ा व उधम सिंह नगर जनपदों में एक–एक तथा गढ़वाल मण्डल के हरिद्वार, देहरादून व टिहरी जनपदों में कमशः 7, 6, व 1 अनुदानित महाविद्यालय अवस्थित हैं। सभी अनुदानित महाविद्यालयों में 28667 छात्राऐं व 22220 छात्र विभिन्न पाठ्यकमों में अध्ययनरत हैं। अनुदानित महाविद्यालयों में 14 महाविद्यालय यू0जी0सी0 अधिनियम की धारा 2(f)/12(B) से आच्छादित हैं तथा 10 महाविद्यालयों ने नैक से प्रत्यायन भी करा लिया है। अनुदानित महाविद्यालयों का प्रबन्ध संचालन संबधित महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाता है तथा इन महाविद्यालयों में प्राध्यापकों व कर्मचारियों के स्वीकृत पदों पर वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(द) निजी महाविद्यालय व शिक्षण संस्थान :

प्रदेश में 292 निजी महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में लगभग 52,000 विद्यार्थी उच्च, चिकित्सा व तकनीकी शिक्षा इत्यादि से सम्बन्धित विभिन्न पाठ्यकमों में अध्ययनरत हैं। इन निजी महाविद्यालयों एवं शिक्षण

संस्थानों में पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति संबधित विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाती है लेकिन इनका प्रबन्ध संचालन व वित्तपोषण इत्यादि निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 72 केन्द्रों तथा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के 350 केन्द्रों में क्रमशः लगभग 40,000 तथा 14,607 विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षण पद्धति के अर्न्तगत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्राविधिक शिक्षा के अर्न्तगत संचालित 60 पॉलिटेक्निक संस्थाओं में भी लगभग 11,500 विद्यार्थी व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के पश्चात् 11 वर्ष की अल्पावधि में संख्यात्मक दृष्टि से प्रदेश में उच्च शिक्षा का द्रुतगति से विकास हुआ है। इस अवधि में प्रदेश में 16 विश्वविद्यालयों, 36 राजकीय महाविद्यालयों तथा अनेक निजी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई है। गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु प्रदेश में 29 महाविद्यालयों का नैक से प्रत्यायन कराया गया है तथा 47 महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता प्राप्त महविद्यालयों की सूची में सम्मिलित किया गया है। उच्च शिक्षा की पहुॅच के विस्तार के लिए दुर्गम व असेवित क्षेत्रों में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उच्च शिक्षा की प्रासंगिकता के क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालयों के साथ–2 अनेक निजी शिक्षण संस्थानों में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सुस्पष्ट नीति प्राख्यापित की गई है तथा प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए यू0जी0सी0 की 'नेट' परीक्षा के समतुल्य प्रादेशिक स्तर पर 'स्लेट' परीक्षा के आयोजन हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। महाविद्यालयों में पहली बार वर्ष 2011 से स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर पद्धति से शिक्षण प्रारम्भ किया गया है।

देश व प्रदेश में त्वरित विकास के बावजूद नीति निर्माताओं द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् जिस व्यक्तित्व के युवा की कल्पना की गई थी, वह अभी तक साकार नही हुई है। नब्बे के दशक से शुरु हुए वैश्विक परिवर्तनों के पश्चात् कतिपय उत्कृष्ट उपलब्धियों के बावजूद प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख रुप से निम्नलिखित चुनौतियॉ विद्यमान हैं :–

1. प्रबन्ध–संचालन में आधुनिक प्रौद्योगिकी का न्यून उपयोग।
2. कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में पारदर्शी प्रणाली का अभाव।
3. उत्तरदायित्व निर्धारण में वस्तुपरक मापदण्डों का अभाव।
4. दीर्घ काल से विभिन्न विषयों का अपरिवर्तित पाठ्यक्रम।
5. विद्यार्थियों में रोजगार के लिए अपेक्षित योग्यता व कौशल का अभाव।
6. अन्य विभागों व एजेन्सियों से समन्वय व सम्पर्क का अभाव।
7. उच्च शिक्षा के अधिकारिक संमकों व सूचनाओं का अभाव।
8. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के नियमित निरीक्षण का अभाव।
9. कीड़ा तथा पाठ्येत्तर कियाकलापों में विद्यार्थियों की अरुचि तथा
10. उच्च शिक्षा के विकास के लिए सीमित वित्तीय संसाधन।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों व कर्मचारियों के रिक्त पदों व वांछित संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार महाविद्यालयों में पठन–पाठन व छात्र उपस्थिति सुनिश्चित न होने के फलस्वरुप उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इन चुनौतियों व समस्याओं का सामना करने के लिए प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास हेतु गुणवत्ता, समानता, प्रासंगिकता व प्रबन्धन के क्षेत्रों में निम्नलिखित प्राथमिकताऍं निर्धारित की गई हैं :–

1. महाविद्यालयों में संरचनात्मक सुविधाओं व स्टाफ की व्यवस्था।
2. महाविद्यालयों में आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठों की स्थापना।
3. वित्तीय संसाधनों का सृजन तथा उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग।
4. कार्य मूल्यांकन हेतु पारदर्शी प्रणाली का उपयोग।
5. व्यवसायिक व रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन।
6. उच्च शिक्षा विभाग के विकास में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन।
7. निर्धन व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क अनुशिक्षण।
8. नीति निर्धारण तथा अन्य विभागों से समन्वय इत्यादि के लिए उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना।
9. प्रबन्ध संचालन में आधुनिक प्रौद्योगिकी के अर्न्तगत ई–गर्वनेन्स का उपयोग तथा
10. दूरस्थ शिक्षण पद्धति को प्रोत्साहन।

मानव संसाधन विकास में उच्च शिक्षा के महत्त्व को अंगीकार करते हुए भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारें उच्च शिक्षा के विकास के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। सम्प्रति, उच्च शिक्षा में बुनियादी परिवर्तनों के लिए नौ विधेयक संसद में विचाराधीन है। अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2020 तक 30% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा नये विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण उच्च शिक्षा के विकास में केन्द्र तथा राज्य स्तर पर सार्थक व ठोस पहल करने की नितांत आवश्यकता है। उच्च शिक्षा का उद्‌देश्य न केवल विषय का आधुनिकतम उच्च स्तरीय ज्ञान अर्जित करना है, वरन् विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास व चरित्र निर्माण कर सुसंस्कृत व अनुशासित युवा पीढ़ी के सृजन में भी उच्च शिक्षण संस्थाओं की अहम् भूमिका है। बारवहीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के कुल परिव्यय रु0 54,276 करोड़ में से रु0 924 करोड़ (1.7%) उच्च शिक्षा के लिए आबंटित किया जाना प्रस्तावित है। निःसन्देह उच्च शिक्षा प्रत्यक्ष रुप से भौतिक संसाधनों का सृजन नहीं करती है लेकिन विकास के लिए वांछित भौतिक संसाधनों का सृजन केवल कुशल, प्रशिक्षित व योग्य मानव सम्पदा द्वारा ही किया जा सकता है। अतः शिक्षा के पॉच मूलभूत आधार स्तम्भों–शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षण संस्था, सरकार व समाज में संतुलित सामंजस्य स्थापित कर शिक्षण संस्थाओं में स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण का सृजन करके ही उच्च शिक्षा का विकास किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड में विश्वविद्यालयों की प्रास्थिति (मार्च 2012)

क्रमांक	विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	विश्वविद्यालय परिसरों की संख्या	सम्बद्ध/संघटक महा0, शिक्षण संस्थानों तथा अध्ययन केन्द्रों की संख्या	संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या (लगभग)	अध्ययनरत /पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या		
						विश्वविद्यालय परिसर	सम्बद्ध/संघटक महा0, शिक्षण संस्थान तथा अध्ययन केन्द्र	कुल योग
(अ)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय							
(1)	हे0न0ब0ग0 (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर	1973 वर्ष 2009 से केन्द्रीय विश्व0	3	197	—	9300	100170	109470
(क)	राज्य विश्वविद्यालय							
(2)	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	1973	3	67	47	8088	64971	73059
(3)	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)	2005	—	350	128	—	14607	14607
(4)	दून विश्वविद्यालय, देहरादून	2005	1	0	11	350		350
(5)	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार	2005	1	48	18	—	3985	3985
(6)	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	2005	1	64	24	62	8654	8716
(7)	गो0ब0प0कृ0प्रौ0 विश्वविद्यालय, पंतनगर (ऊधम सिंह नगर)	1960	1	3	133	—	4142	4142
(8)	पं0 दीन दयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी	2011	—	—	—	—	—	—
(9)	उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भवाली (नैनीताल)	2011	—	—	—	—	—	—
(10)	उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार	2011	1	—	1	88	—	—
(11)	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरिद्वार	2009	—	—	—	—	—	—

क्रमांक	विश्वविद्यालय	स्थापना का वर्ष	विश्वविद्यालय परिसरों की संख्या	सम्बद्ध/ संघटक महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं तथा अध्ययन केन्द्रों की संख्या	संचालित पाठ्यकमों की संख्या (लगभग)	अध्ययनरत /पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या		
						विश्वविद्यालय परिसर	सम्बद्ध/संघटक महा०, शिक्षण संस्थान तथा अध्ययन केन्द्र	कुल योग
(स)	**सम विश्वविद्यालय**							
(12)	गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	1902	3	–	19	3948	–	3948
(13)	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	1991	1	–	4	252	–	252
(14)	एच०आई०एच०टी० विश्वविद्यालय, डोईवाला (देहरादून)	2007	1	–	34	260	–	260
(15)	ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, देहरादून	2008	1	–	11	8044	–	8044
(द)	**निजी विश्वविद्यालय**							
(16)	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार	2002	1	–	20	731	–	731
(17)	यूनिवर्सिटी ऑफ पैट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्टडीज, देहरादून	2003	1	–	53	4707	–	4707
(18)	हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, देहरादून	2005	1	5	14	406	37	443
(19)	ईक्फाई विश्वविद्यालय, देहरादून	2003	1	–	5	1776	–	1776
(20)	पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार	2007	1	–	6	201	–	201
(21)	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, देहरादून	2011	2	–	6	1001	–	1001
	कुल योग		24	739	612	39214	1,96,566	2,35,780

नोट :
(1) गो०ब०प०कृ०प्रौ० विश्वविद्यालय पंतनगर के आठ संघटक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के एक ही परिसर में स्थित हैं।
(2) हे०न०ब०ग० (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय तथा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में उपर्युक्त छात्र संख्या के अतिरिक्त क्रमशः 60,530, 74,961 तथा 206 निजी परीक्षार्थी स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने हेतु पंजीकृत हैं।
(3) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल) की छात्र संख्या (14607) प्रदेश के 350 अध्ययन केन्द्रों में दूरस्थ शिक्षण प्रणाली के अर्न्तगत पंजीकृत है।
(4) उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रदेश में इग्नू के 72 केन्द्रों में उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 40,000 तथा प्राविधिक शिक्षा के अर्न्तगत संचालित 60 पालिटेक्निक संस्थाओं में लगभग 11,600 विद्यार्थी विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पंजीकृत हैं।
(5) हे०न०ब०ग० (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध लगभग 10 शिक्षण संस्थान तथा कुमाऊँ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध लगभग 4 शिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से भी सम्बद्ध हैं। राजकीय महाविद्यालय रिखणीखाल, मजरा महादेव व थत्यूड़ को सम्बद्धता प्राप्त नहीं हुई है जिनकी कुल छात्र संख्या 236 है।

राजकीय महाविद्यालयों की प्रास्थिति

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	भूमि तथा भवन की स्थिति		यू0जी0सी0 की मान्यता	छात्र संख्या (2011–12) (अनन्तिम)	प्राध्यापकों के पदों की संख्या		नैक से प्रत्यायन की वैधता का अन्तिम वर्ष
			भूमि	भवन			स्वीकृत पद	रिक्त पद	
1	एम0 बी0 राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी	1960 प्रा 1982	है	है	मान्यता	12826	84	18	2009
2	रा0 महिला महावि0, हल्द्वानी	1996	है	है	मान्यता	353	15	3	2016
3	रा0 स्नात0 महाविद्यालय, रामनगर	1975	है	है	मान्यता	4615	42	5	2008
4	रा0 महावि0 दोषापानी, चौखुटा	2005	है	नहीं	नहीं	169	7	0	नहीं
5	रा0 महावि0 कोटाबाग	2006	नहीं	नहीं	नहीं	137	5	1	नहीं
6	रा0 स्नात0 महाविद्यालय, बागेश्वर	1974	है	है	मान्यता	2760	34	8	2011
7	रा0 महावि0, कपकोट	2005	नहीं	नहीं	नहीं	195	8	2	नहीं
8	रा0 महावि0, काण्डा	2006	है	नहीं	नहीं	63	8	5	नहीं
9	रा0 महावि0, गरुड	2009	नहीं	नहीं	नहीं	108	6	4	नहीं
10	रा0 स्न0 महावि0, रानीखेत	1973	है	है	मान्यता	2136	42	4	2009
11	रा0 स्न0 महावि0, द्वाराहाट	1983	है	है	मान्यता	735	14	–2	2014
12	रा0 महावि0, मानिला	1989	है	है	मान्यता	626	15	2	2016
13	रा0 महावि0, जैंती	1996	है	पूर्ण पर हस्तगत नहीं	मान्यता	211	6	2	नहीं
14	रा0 महावि0, चौखुटिया	2001	है	नहीं	नहीं	569	7	1	नहीं
15	रा0 महावि0, गुरुडाबांज	2006	है	नहीं	नहीं	60	2	0	नहीं
16	रा0 महावि0, सोमेश्वर	2006	है	नहीं	नहीं	237	12	6	नहीं
17	रा0 महावि0, भिक्यासैंण	2006	है	नहीं	नहीं	256	9	4	नहीं

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	भूमि तथा भवन की स्थिति		यू0जी0सी0 की मान्यता	छात्र संख्या (2010–11) (अनन्तिम)	प्राध्यापकों के पदों की संख्या		नैक से प्रत्यायन की वैधता का अन्तिम वर्ष
			भूमि	भवन			स्वीकृत पद	रिक्त पद	
18	रा0 महावि0, स्याल्दे	1979	है	है	मान्यता	837	15	4	2014
19	रा0 स्नात0 महावि0, पिथौरागढ़	1963	है	है	मान्यता	6826	94	14	2009
20	रा0 महावि0, बेरीनाग	1975	है	है	मान्यता	1543	30	7	2009
21	रा0 महावि0, नारायणनगर	1963	है	है	मान्यता	636	13	1	नहीं
22	रा0 महावि0, बलुवाकोट, धारचूला	1997	है	नहीं	नहीं	462	9	3	नहीं
23	रा0 महावि0, मुन्स्यारी	2001	नहीं	नहीं	नहीं	359	7	1	नहीं
24	रा0 महावि0, गंगोलीहाट	2001	नहीं	नहीं	नहीं	539	7	0	नहीं
25	रा0 महावि0, चम्पावत	1997	है	है	मान्यता	562	14	3	नहीं
26	रा0 स्नात0 महावि0, लोहाघाट	1979	है	है	मान्यता	1545	23	2	2009
27	रा0 महावि0, टनकपुर	2004	है	नहीं	नहीं	697	6	2	नहीं
28	रा0 स्नात0 महावि0, खटीमा	1988	है	है	मान्यता	6548	25	3	2009
29	रा0 स्नात0 महावि0, रुद्रपुर	1974	है	है	मान्यता	6915	37	8	2008
30	रा0 स्नात0 महावि0, काशीपुर	1979	है	है	मान्यता	7365	56	11	2009
31	रा0 महावि0, बाजपुर	1996	है	है	नहीं	838	14	8	नहीं
32	रा0 स्नात0 महावि0, कोटद्वार	1971	है	है	मान्यता	5546	82	14	2009
33	रा0 महावि0, बेदीखाल	1979	है	है	मान्यता	170	7	1	नहीं
34	रा0 महावि0, जयहरीखाल	1972	है	है	मान्यता	532	25	6	2009
35	रा0 महावि0, चौबट्टाखाल	1979	है	है	मान्यता	181	11	−1	नहीं
36	रा0 महावि0, थलीसैंण	2001	है	निर्माणाधीन	नहीं	179	7	0	नहीं
37	रा0 महावि0, नैनीडांडा	2006	है	हस्तगत नहीं	नहीं	136	14	5	नहीं
38	रा0 महावि0, सतपुली	2006	नहीं	नहीं	नहीं	280	12	5	नहीं

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	भूमि तथा भवन की स्थिति		यू0जी0सी0 की मान्यता	छात्र संख्या (2010–11) (अनंतिम)	प्राध्यापकों के पदों की संख्या		नैक से प्रत्यायन की वैधता का अन्तिम वर्ष
			भूमि	भवन			स्वीकृत पद	रिक्त पद	
39	रा0 महावि0, रिखणीखाल	2009	है	नहीं	नहीं	133	12	7	नहीं
40	रा0 महावि0, मजरा महादेव	2010	नहीं	नहीं	नहीं	50	6	6	नहीं
41	रा0 स्नातक0 महावि0 गोपेश्वर	1966	है	है	मान्यता	2886	69	9	2012
42	रा0 महावि0, जोशीमठ	1996	है	निर्माणाधीन	नहीं	200	16	10	नहीं
43	रा0 महावि0, तलवाड़ी	1997	है	निर्माणाधीन	मान्यता	363	11	1	नहीं
44	रा0 महावि0, गैरसैंण	2001	है	निर्माणाधीन	मान्यता	247	7	1	नहीं
45	रा0 महावि0, नागनाथ पोखरी	2001	है	निर्माणाधीन	नहीं	163	7	0	नहीं
46	रा0 विधि0 महावि0, गोपेश्वर	2003	है	पूर्ण परन्तु हस्तागत नहीं	नहीं	8	8	6	नहीं
47	रा0 महावि0 कर्णप्रयाग	1979	है	है	मान्यता	1311	14	0	नहीं
48	रा0 स्नात0 महावि0, अगस्त्यमुनि	1974	है	है	मान्यता	3171	39	8	नहीं
49	रा0 महावि0, जखोली	2001	है	निर्माणाधीन	नहीं	207	7	0	नहीं
50	रा0 महावि0 रुद्रप्रयाग	2006	नहीं	नहीं	नहीं	51	15	13	नहीं
51	रा0 महावि0 गुप्तकाशी	2009	नहीं	नहीं	नहीं	12	2	1	नहीं
52	रा0 स्नात0 महावि0, उत्तरकाशी	1969	है	है	मान्यता	3328	65	11	2015
53	रा0 महावि0, बडकोट	1993	है	नहीं	नहीं	769	5	0	नहीं
54	रा0 महावि0, पुरोला	1993	है	है	नहीं	216	12	8	नहीं
55	रा0 महावि0, चिन्यालीसौड़	2001	नहीं	नहीं	नहीं	443	7	0	नहीं
56	रा0 महावि0, नई टिहरी	1979	है	है	मान्यता	1145	50	9	नहीं
57	रा0 महावि0, देवप्रयाग	1984 प्रा0 2002	है	है	मान्यता	161	6	0	नहीं
58	रा0 महावि0, अगरोड़ा	2001	है	है	नहीं	215	12	7	नहीं
59	रा0 महावि0, चन्द्रबदनी	2001	है	है	नहीं	255	7	0	नहीं

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	भूमि तथा भवन की स्थिति		यू0जी0सी0 की मान्यता	छात्र संख्या (2010-11) (अनन्तिम)	प्राध्यापकों के पदों की संख्या		नैक से प्रत्यायन की वैधता का अन्तिम वर्ष
			भूमि	भवन			स्वीकृत पद	रिक्त पद	
60	रा0 महावि0, नैनबाग	2001	है	नहीं	नहीं	199	7	0	नहीं
61	रा0 महावि0, लम्बगाँव	2001	है	है	नहीं	173	7	0	नहीं
62	रा0 महावि0, पौखाल	2002	है	है	नहीं	103	7	0	नहीं
63	रा0 महावि0, नरेन्द्रनगर	2006	नहीं	नहीं	नहीं	133	6	5	नहीं
64	रा0 महावि0, थत्यूड	2009	नहीं	नहीं	नहीं	53	7	3	नहीं
65	रा0 स्नात0 महावि0, डाकपत्थर	1993	है	है	मान्यता	2290	16	2	नहीं
66	रा0 महावि0, ऋषिकेश	1972	है	है	मान्यता	3769	70	14	2009
67	रा0 महावि0, डोईवाला	2001	है	है	मान्यता	1369	23	7	नहीं
68	रा0 महावि0, चकराता	2004	है	नहीं	नहीं	76	12	5	नहीं
69	रा0 महावि0, त्यूनी	2006	है	नहीं	नहीं	176	13	8	नहीं
70	रा0 महावि0, लक्सर	2001	है	नहीं	मान्यता	795	7	0	नहीं
	योग					93623	1366	300	

नोट : उपर्युक्त तालिका में राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के स्वीकृत पदों (1366) के विरुद्ध नियमित (520), तथा संविदा प्रवक्ताओं (555) के रूप में कार्यरत प्राध्यापकों की संख्या (1075) को घटाकर रिक्त पदों (291) की गणना की गई है। 8 प्राध्यापक प्रतिनियुक्ति के अन्तर्गत अन्यत्र कार्यरत है तथा एक प्राध्यापक शिविर कार्यालय देहरादून में सम्बद्ध है। रिक्त पदों के विरुद्ध 272 पदों के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया। अधियाचन प्रेषित करने के पश्चात् भी 19 प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं।

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन

कम संख्या	नाम	पदनाम	मोबाइल न0	दूरभाष	ई–मेल / वेबसाइट
1	श्री राकेश शर्मा	प्रमुख सचिव	–	0135 : 2712090 0135 : 2712098	–
2	डॉ0 निधि पाण्डे	अपर सचिव	–	0135 : 2655264	nidhipandey 2001 @gmail.com
3	श्री वेदीराम	अनुसचिव	9997117985	–	santoshsingh701@gmail.com
4	श्री दीपक कुमार	अनुभाग अधिकारी–7	9917150726	–	deepak 907 @gmail.com
5	श्री सुभाष कुमार	अनुभाग अधिकारी–6	9410705231	–	subhashchandra12342@yahoo.com

उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

कम संख्या	नाम	पदनाम	मोबाइल न0	दूरभाष	ई–मेल / वेबसाइट
1	–	निदेशक	–	05946 : 225783 05946 : 281674	ई–मेल highereducationdirector @gmail.com वेबसाइट– www.directoratehеuk.org
2	श्रीमती मुकुल पंत	संयुक्त निदेशक	911163318	05946 : 225765	–
3	डॉ0 एल0बी0 अग्निहोत्री	उपनिदेशक	9411787518	05946 : 225765	–
4	डॉ0 के0एल0 विष्ट	उपनिदेशक	9997007704	05946 : 2257[illegible]	–
5	डॉ0 मृत्युंजय कुमार मिश्रा	सहायक निदेशक	9412052688	05946 : 225765	adheuk@gmail.com

उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून

कम संख्या	नाम	पदनाम	मोबाइल न0	दूरभाष	ई–मेल / वेबसाइट
1	डॉ0 जी0एस0 रजवार	उपनिदेशक	9412324599	0135 : 2668902	dheddc@gmail.com
2	डॉ0 सतपाल सिंह साहनी	सहायक निदेशक	9837061260	0135 : 2669902	sahnisatpal@gmail.com
3	डॉ0 वी0एन0 शर्मा	सहायक निदेशक	9412409074	0135 : 2668902	sharma vn 21 @gmail.com

प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति, दूरभाष व वेबसाइट

क्रम सं0	विश्वविद्यालय का नाम	कुलपति का नाम	दूरभाष (विश्वविद्यालय)	मोबाइल न0-(कुलपति)	ई-मेल/वेबसाइट (विश्वविद्यालय)
(i)	**केन्द्रीय विश्वविद्यालय**				
1	हे0न0ब0 गढ़वाल (केन्द्रीय)विश्वविद्यालय, श्रीनगर	प्रो0 एस0के0 सिंह	01346-252167	9412991540	Website: www. hnbgu.ac.in Email: oincharge rti@yahoo.com
(ii)	**राज्य विश्वविद्यालय**				
2	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	प्रो0 वी0पी0एस0 अरोड़ा	05942-235068	9412085888	Website: www.kuntl.in
3	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल)	प्रो0 विनय कुमार पाठक	05946-263016 05946-261122	9412085004	Website: uou.ac.in Email: info@uou.ac.in
4	दून विश्वविद्यालय, देहरादून	प्रो0 वी0के0जैन	0135-2533105	875524411	Website: doonuniversity.ac.in Email: doonuniversity@gmail.com
5	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार	डा0 सुधा रानी पांडे	01334-250896	9411111865	Website: www.usvv.org Email: drsudhavc@gmail.com
6	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	प्रो0 डी0एस0 चौहान	0135-2770128	955768181	Website: www.uktech.ac.in Email: utu@gmail.com
7	गो0ब0प0कृ0प्रौ0 विश्वविद्यालय, पंतनगर (उधम सिंह नगर)	प्रो0 बी0एस0 बिष्ट	05944-233333	7500241400	Website: www.gbpuat.ac.in Email: vcgbpuat@gmail.co.in
8	पं0 दीन दयाल उपाध्याय, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी				
9	उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भवाली (नैनीताल)				
10	उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार (पौड़ी)	प्रो0 मैथ्यू प्रसाद	01348-226058	9410391521	Website:www.uuhf.ac.in Email: vc27uuhfu@gmail.com
11	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरिद्वार	प्रो0 सत्येंद्र प्रसाद मिश्रा	--	9450521883	

क्रम सं0	विश्वविद्यालय का नाम	कुलपति का नाम	दूरभाष (विश्वविद्यालय)	मोबाइल न0 (कुलपति)	ई-मेल/वेबसाइट (विश्वविद्यालय)
(iii)	**डीम्ड विश्वविद्यालय**				
12	गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	प्रो0 स्वतन्त्र कुमार	01334-249012	9719004451	Website: www.gkvharidwar.org Email: registrargkv@yahoo.co.in
13	एफ0आर0आई0, देहरादून	प्रो0 पी0पी0 भोजवैद	0135-2751826	N.A	Website: icfre.FRI.gov.in Email: tripathi ak@icfre.org
14	एच0आई0एच0टी0 विश्वविद्यालय, डोईवाला (देहरादून)	डा0 विजय धस्माना	0135-2471162	N.A	Website: reg@hihtuniversity.edu.in
15	ग्राफिक ऐरा विश्वविद्यालय, देहरादून	डा0 एम0आर0त्यागी	0135-2642727	N.A	Website: www.geu.ac.in Email: registrar@geu.ac.in
(iv)	**निजी विश्वविद्यालय**				
16	देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार	प्रो0 सुखदेव शर्मा	01334-260723	N.A	Website: www.dsvv.ac.in Email: vc@dsvv.ac.in
17	यूनिवर्सिटी ऑफ पैट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्टडीज, देहरादून	डा0 पराग दिवान	0135-2776201	N.A	Website: www.upes.ac.in Email: vc@upes.ac.in
18	हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, देहरादून	डा0 विनोद सी अग्रवाल	0135-2110005	N.A	Website: www.himgirizeeuniversity.edu.in Email: himgirizeeuniversity@gmail.com
19	ईक्फाई विश्वविद्यालय, देहरादून	डा0 एस0सी0 देवरानी	0135-3003018	N.A	website- www.iudehradun.edu.in Email:vc@iudehradun.edu.in
20	पंतजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार	आचार्य बाल कृष्ण	01334-242526	9897405550	Website:www.patanjaliuniversity.com Email: uopyp2009@gmail.com
21	ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, (देहरादून)	डा0 संजय जसोला	0135-2645996	N.A	Website: gehu.ac.in

प्रदेश के महाविद्यालयों के प्राचार्य, दूरभाष, मोबाइल नम्बर व ई–मेल

शासकीय महाविद्यालय

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	प्राचार्य का नाम	दूरभाष (महाविद्यालय)	मोबाइल न0 (प्राचार्य)	ई–मेल (महाविद्यालय)	ई–मेल (प्राचार्य)
	नैनीताल					
1	एम0 बी0 राजकीय स्ना0 महाविद्यालय, हल्द्वानी	डा0 बी.सी. मेलकानी	05946–222017	9837376604	principal@mbgpgcollege. org	principal@mbgpgcollege. org
2	रा0 महिला महावि0, हल्द्वानी	डा0 (श्रीमती) भगवती वर्मा	05946–284518	9720250831	ggdc.106@ rediff.com	–
3	रा0 स्नात0 महाविद्यालय, रामनगर	डा0 पी.एस. मखलोगा	05947–251326	9412139910	gpgcramnagar.org	principal pngrmr@yahoo.com
4	प0पू0लि0 रा0 महावि0 दोषापानी, चौखुटा	डा0 (श्रीमती) रेखा पाण्डे	05942–246272	9412983162	gdcdhoshapani@gmail.com	–
5	रा0 महावि0 कोटाबाग	डा0 सुनिता गुप्ता	05947–212267	9412323209	melkani.kotabagh @ rediffmail.com	–
	बागेश्वर					
6	कु0कें0प0ब0द0पा0 रा0 स्नात0 महाविद्यालय, बागेश्वर	डा0 सुरेश चन्द्र पन्त	05963–220081	9639208054	gpgcbageshwar@ yahoo.co.in	drsureshc pant @gmail.com.
7	रा0 महावि0, कपकोट	डा0 गोविन्द सिंह रावत	05963–253453	9837863778	dr gsrawat1@ yahoo.co.in	govt.degreecollegekapkote @ yahoo.co.in
8	रा0 महावि0, काण्डा	डा0 भवानी दत्त काण्डपाल	05963–241256	9411343874	–	–
9	रा0 महावि0, गरुड़	डा0 सुरेश चन्द्र पन्त (अतिरिक्त प्रभार)	–	9639208054	–	drsureshc pant @gmail.com.
	अल्मोड़ा					
10	रा0 स्ना0 महावि0, रानीखेत	प्रो हेम चन्द्र तिवारी	05966–220372	9411303295	pg.principal rkt@ rediffmail.com	–

11	रा0 स्ना0 महावि0, द्वाराहाट	डा0 ए.के. श्रीवास्तव (प्रभारी)	05966–244447	9411270052	gpgcdwarahat @yahoo.co.in	–
12	रा0 महावि0, मानिला	डा0 (श्रीमती) जी0 प्रकाश	05966–248123	9411102155	–	–
13	रा0 महावि0, जैंती	डा0 कमला चन्याल	–	9410588416	gdcjainti@gmail.com.	–
14	रा0 महावि0, चौखुटिया	डा0 (श्रीमती) मीनू श्रीवास्तव	05966–246696	9634766488	gdcchaukhutia @gmail.com	meenusrivas @rediff.com
15	रा0 महावि0, गुरुड़ाबांज	प्रो0 आर0एस0भटट्	–	9760213985	–	–
16	रा0 महावि0, सोमेश्वर	डा0 प्रताप सिंह	05962–243258	9412967071	gdcsomeshwar @gmail.com	singh.p1953@gmail.com
17	रा0 महावि0, सिक्यासैंण	डा0 हरवंश लाल अरोरा	–	9411324936	–	–
18	रा0 महावि0, स्याल्दे	डा0 सी.एस. मेहता	05966–247691	9456780661	–	–
	पिथौरागढ़					
19	एल0एस0एम0 रा0 स्नात0 महावि0, पिथौरागढ़	डा0 डी0एस0 पौंगती	05964–264027	9412096223	drdspangteyprincipal@gmail.com	drdspangteyprincipal@gmail.com
20	रा0 स्ना0 महावि0, बेरीनाग	डा0 डी0के0पाण्डे	05964–244641	9719413050	gpgcberinag.org	–
21	रा0 महावि0, नारायणनगर (डीडीहाट)	डा0 उमा पाठक	05964–234107	9897732025	–	umapathak60@gmail.com
22	रा0 महावि0, बलूवाकोट, धारचूला	डा0 पी0 के0 पाठक	05967–226454	9410515303	gdcbaluwakotc1996@ rediffmail .com	pkpathak1957@ rediffmail.com
23	रा0 महावि0, मुन्स्यारी	डा0 प्रेम प्रकाश	05961–222320	9412944730	–	–
24	रा0 महावि0, गंगोलीहाट	डा0 ए0के0 गुरुरानी,	05964–242330	9412981112	–	–
	चम्पावत					
25	रा0 महावि0, चम्पावत	डा0 बी0डी0 पंत	05965–230462	9412134642	gpgc.cpt@gmail.com	gpgc.cpt@gmail.com
26	स्व0 वि0 रा0 स्नात0 महावि0, लोहाघाट	डा0 (श्रीमती) गगोत्री त्रिपाठी	05965–234552	9412164634	govtpg collegelohaghat @gmail.com	gangotritripathi @gmail.com
27	रा0 महावि0, टनकपुर	श्रीमती करुणा खुन्नु	05943–265672	9410105722	gdctanakpur @gmail.com	–

27	रा0 महावि0, टनकपुर	श्रीमती करुणा खुन्नु	05943-265672	9410105722	gcctanakpur @gmail.com	

	उधम सिंह नगर					
28	हे0न0ब0 रा0 स्नात0 महावि0, खटीमा	डा0 भूपाल सिंह नेगी	05943-252244	9410341004	gpgckhatima@gmail.com	–
29	स0म0सि0 रा0 स्नात0 महावि0, रुद्रपुर	डा0 जगदीश प्रसाद	05944-243586	9410732049	gpgc.rdr@gmail.com	pjagdish 30 @yahoo.com
30	रा0ह0 रा0 स्नात0 महावि0, काशीपुर	डा0 ए0एस0 सिराड़ी	05947-262332	9675284340	rhgpgc@gmail.com	arjun.sirari@gmail.com
31	रा0 महावि0, बाजपुर	डा0 नगेन्द्र द्विवेदी (प्रभारी)	05949-282140	9411539301	gdcbajpur@ rediffmail.com	gdcbajpur@ rediffmail.com
	पौड़ी					
32	डा0पी0द0ब0हि0 रा0 स्नात0 महावि0, कोटद्वार	डा0 (श्रीमती) कुमकुम रौतेला (प्रभारी)	01382-222188	9837362132	principalgpgckot @ rediffmail.com	–
33	डा0एस0एन0एन0 रा0 महावि0, बेदीखाल	डा0 श्रीमती गंगा बोरा	01382-213321	9568404737	–	–
34	रा0 स्ना0 महावि0, (लैन्सडाउन) जयहरीखाल	प्रो0 आर0के0 गुप्ता	01366-276641	9410715099	principal lansdowne @ rediffmail.com	–
35	रा0 महावि0 , चौबट्टाखाल	डा0 सुभाष चन्द्र वर्मा	01386-265354	8756322011	principal.chaubatakhal@gmail.com	verma.subhas@gmail.com
36	रा0 महावि0, थलीसैंण	डा0 सोहन लाल भट्ट्	01348-225847	9412937650	–	–
37	रा0 महावि0, नैनीडांडा	डा0 सुशीला सूद	–	9456812849	gdcnaindanda.com	–
38	रा0 महावि0, सतपुली	प्रो0 प्रवीन जोशी	01386-273688	9634237097	–	–
39	रा0 महावि0, रिखणीखाल	डा0 ज्ञानेन्द्र कुमार रावत (प्रभारी)	01386-278205	9412581873	–	–
40	रा0 महावि0, मजरा महादेव	डा0 सोहन लाल भट्ट (अतिरिक्त प्रभार)	7351316764	9412937650	–	–
	चमोली					
41	रा0 स्नातक0 महावि0 गोपेश्वर	डा0 (श्रीमती) आशा जुगरान	01372-252145	9897144324	gpgcgopeshwar @gmail.com.	ashajugran@gmail.com

42	रा0 महावि0, जोशीमठ	प्रो0 के0 के0 एस0 नेगी	01389-221017	9456365888	principalgdc.joshimath@gmail.com	kksingh.negi@gmail.com
43	रा0 महावि0, तलवाड़ी	डा0 महेश चन्द्र नैनवाल	01363-277843	98976009293	gdctalwari @yahoo.com	gdctalwari @yahoo.com
44	रा0 महावि0, गैरसैंण	डा0 ऐ0 के0 श्रीवास्तव	01363-268361	9412125476	gdcgairsain @gmail.com	anasrivas@ rediffmail.com
45	रा0 महावि0, नागनाथ पोखरी	डा0 ललित प्रभा शर्मा	01372-213886	9719360981	–	yogesh prabha@ rediff mail.com
46	रा0 विधि0 महावि0, गोपेश्वर	डा0 (श्रीमती) आशा जुगरान (अतिरिक्त प्रभार)	01372-251343	9897144824	lawcollegegopeshwar @gmail.com.	ashajugran@gmail.com
47	रा0 महावि0 कर्णप्रयाग	डा0 एम0 एस0 रौतेला	01363-244129	7895470901	gdckpg1979 @gmail.com	–
	रुद्रप्रयाग					
48	श्री0अ0प्र0च0 रा0 स्नात0 महावि0, अगस्त्यमुनि	डा0 चन्द्रराम	01364-256229	8954710069	college agm@ rediffmail.com	principal agm@ rediffmail.com
49	रा0 महावि0, जखोली	डा0 माधुरी	01370-234285	9411157134	–	–
50	रा0 महावि0 रुद्रप्रयाग	प्रो0 गिरीश चन्द्र मिश्रा	01364-233025	9412938102	principalrpg @gmail.com	m.girishchandra @gmail.com
51	श्री0ग0मे0 रा0 महावि0 विद्यापीठ गुप्तकाशी	डा0 चन्द्रराम (अतिरिक्त प्रभार)	01364-256229	8954710069	–	–
	उत्तरकाशी					
52	रा0उ0 रा0 स्नात0 महावि0, उत्तरकाशी	डा0 मृगेश पाण्डे	01374-222148	9412096086	gpgc uttarkashi @ redff email.com	mrigesh pande 36 @ yahoo.co.in
53	रा0 महावि0, बड़कोट	प्रो0 के0 एल0 मालगुडी	01375-224428	9410146927	gdcbkt @gmail.com	principalgdcbkt @gmail.com
54	ब0ला0जु0 रा0 महावि0, पुरौला	डा0 गंगा सिंह बिष्ट	01375-223018	9412953181	–	dr virendrajoshi @gmail.com
55	रा0 महावि0, चिन्यालीसौड़	डा0 पी0 सी0 तिवारी	01371-237153	9412410976	gdcchinyalisaur @yahoo.in	mail2buja @yahoo.co.in
	नई टिहरी					
56	रा0 महावि0, नई टिहरी	डा0 अशोक कुमार	01376-234964	9411531788	gpgc.nt@indiatimes.com	ashok.kumar0555@gmail.co m

57	ओ०सी० रा० महावि०, देवप्रयाग	प्रो० एन० एस० बिष्ट	01378-266231	9756390606	ONSGDC@gmail.com	–
58	रा० महावि०, अगरोड़ा	डा० यू० एस० रावत	09358841158	948967779	–	–
59	रा० महावि०, चन्द्रबदनी	डा० सूरत सिंह बलूड़ी (प्रभारी)	01378-237410	9412949703	gdcc @gmail.com	drsuratsinghbaloori @gmail.com
60	रा० महावि०, नैनबाग	डा० अर्चना गौतम	01376-226529	9412029615	–	–
61	रा० महावि०, लम्बगाँव	डा० राजीव रतन	01379-219645	9415882929	gdclambgaon2001@gmail.com	drrr71@gmail.com
62	रा० महावि०, पौखाल	डा० के०एस०जौहरी	01376-212156	9412995782	gdcpaukhal @gmail.com	drksjauhari @gmail.com
63	रा० महावि०, नरेन्द्रनगर	डा० एन० पी० माहेश्वरी	01378-227031	09837442009	gdcnarendranagar@gmail.com	maheshwari.np@gmail.com
64	रा० महावि०, थत्यूड़	डा० सत्यपाल सिंह	01376-246496	9412002015	–	www.SATKM-537.gmail
	देहरादून					
65	वी०श०के०च० रा० महावि०, डाकपत्थर	डा० गौरी सेवक	01360-222202	9411106551	govt.degreecollegedakpathar @ yahoo.co.in	gauri.sewak@ yahoo.co.in
66	प०ल०मो०श० रा० स्ना० महावि०, ऋषिकेश	डा० (श्रीमती) हेमा प्रसाद	0135-2430495	9412087397	gpgc.rishikesh @gmail.com	dr. Prasad hema @gmail.com
67	श०दु०म० रा० महावि०, डोईवाला	डा० हर्षवन्ती बिष्ट	0135-2410905	9412026580	www.gdcd.com	harashvanti@gmail.com
68	श्री गु० सिंह रा० महावि०, चकराता	डा० जे० सी० घिल्डियाल	01360-272547	9411156293	govt.degreecollegechakarata@gmail .com	drjcghildiyal@rediffmail.co m
69	रा० महावि०, त्यूनी	डा० एम० एम० जोशी	01360-265180	9456706412	–	–
70	रा० महावि०, लक्सर	डा० देवेश्वरी बिष्ट	01332-255436	9411745483	–	–

अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय :

क्रम सं0	महाविद्यालय का नाम	प्राचार्य का नाम	दूरभाष (महाविद्यालय)	मोबाइल न0 (प्राचार्य)	ई–मेल (महाविद्यालय)	ई–मेल (प्राचार्य)
1	डी0 ए0 वी0 (पी0जी0) कालेज, देहरादून	डा0 देवेन्द्र भसीन	0135–2743555	9412008800	–	devendra k bhasin @ gmail. com
2	डी0बी0एस0 (पी0जी0) कालेज, देहरादून	डा0 ओ0पी0 कुलश्रेष्ठ	0135–2654757	9412976288	dayabrij@gmail.com	opkul@rediff.com
3	डी0 डब्लू0 टी0 (पी0जी0) देहरादून कालेज	डा0 आरती दीक्षित	0135–2658825	9410512273	–	–
4	एम0के0पी0 (पी0जी0) कालेज, देहरादून	डा0 किरन सूद (कार्यवाहक)	0135–2654829	9412054890	–	–
5	श्री गुरु राम राय पी0जी0 कालेज, देहरादून	डा0 बी0ए0 बौडाई	0135–2624881	9412992800	vinayanandbourai@yahoo.com	vinayanandbourai@yahoo.c om
6	एम0पी0जी0 कालेज मसूरी	डा0 आर0एस0 शुक्ला	0135–2632889	9412054903	mpgcollege@yahoo.com	mpgcollege@yahoo.com
7	एस0एम0जे0एन0 (पी0जी0) कालेज हरिद्वार	डा0 अवनीत कुमार	01334–324354	9411727072	smjncollege@gmail.com	avneetghildial@gmail.com
8	चिन्मय डिग्री कालेज हरिद्वार	डा0 आलोक कुमार	01334–230478	9837355796	chinmayprincipal @yahoo.com	principal@chinmaycollege hdr co.in
9	महिला महाविद्यालय सतीकुण्ड हरिद्वार	डा0 (श्रीमती) गीता जोशी		9410594235	–	–
10	आर0एम0 पी0जी0 कालेज नारसन हरिद्वार	डा0 बी0एल0 कुशवाह	01332–229221	9410371646	principalrmppgcollegenarsan@g mail.com	principalrmppgcollegenarsa n@gmail.com
11	बी0एस0एम0 पी0जी0 कालेज रुडकी	डा0 बी0पी0 गौतम	01332–272218	9917385959	bsmroorkee@indiatimes.com	bsmroorkee@indiatimes.co m
12	के0एल0डी0ए0वी पी0जी0 कालेज रुडकी	डा0 यशोदा मित्तल	01332–262268	9412929037	pym.kldavpgcr@gmail.com	pym.kldavpgcr@gmail.com

13	एस०डी०पी०सी० जी०पी०जी० कालेज रुड़की	डा० शालिनी जोशी	01332-262705	9837257751	ssd.degree@gmail.com	shalinidoonuniv@gmail.com
14	आर्य कन्या महाविद्यालय अल्मोड़ा	डा० सुषमा दयाल जौहरी	05962-232376	9027992424	–	–
15	चन्द्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय काशीपुर	डा० कीर्ति पन्त	05947-278316	9837192150	ctcollege kashipur @rediffmail.com	kritipant kashipur @rediffmail.com
16	बालगंगा महाविद्यालय सेन्दुल कैमर टिहरी	डॉ० शिव दयाल जोशी	01379-213249	8057823050	–	–

NATIONAL LEVEL EDUCATIONAL BODIES

Address of the Body	Telephone	Website	E-mail
University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002	011-23239627 Fax- 011-23231797	www.ugc.ac.in	webmaster@ugc.ac.in
All India Council for Technical Education (AICTE) 7th Floor, Chanderlok Building Janpath, New Delhi-110001	011-23724151 to 57 Fax- 011-23724183	www.aicte-india.org	-
National Assessment & Accreditation Council (NAAC), P.O. Box No. 1075, Nagarbhavi Bangalore - 560072	080-23210267 Fax- 080-23210268	www.naac.gov.in	naac@blr.vsnl.net.in
National Council for Teacher Education (NCTE), Hans Bhavan Wing -II 1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002	011-23370176 Fax-011-23370128	www.ncte-india.org	-
Medical Council of India, (MCI), Pocket -14, Sector-8, Dwarka Phase-1, New Delhi-110077	011-25367033 Fax-011-25367024	www.mciindia.org	mci@bol.net.in
Bar Council of India (BCI), 21 Rouse Avenue Institutional Area, Near Bal Bhavan, New Delhi-110002	011-49225000 Fax- 011-49225011	www.barcouncilof india.org	info@.barcouncilof india.org

Pharmacy Council of India (PCI), AIWAN-E-Galib Marg, Kotla Road, P.B.No. 7020 New Delhi-110 002	011-23239184 Fax-011-23239184	www.pci.nic.in	pci@ndb.vsnl.net.in
Association of Indian Universities (AIU) AIU House 16, Kotla Marg , New Delhi-110 002	011-23230059 Fax-011-23232131	www.aiuweb.org	info@aiuweb.org
National Council of Educational Research & Training (NCERT) Sri Aurobindo Marg New Delhi-110 016	011-26852261	www.ncert.nic.in	-
National University of Educational Planning & Administration (NUEPA) 17-B, Sri Aurobindo Marg New Delhi-110 016	011-26863562 Fax- 011-26853041	www.nuepa.org	nuepa@nuepa.org
Dental Council of India, Kotla Road,Temple Lane New Delhi-110002	011-23238542 Fax-011-23231252	www.dciindia.org	secretary@dciindia.org

पदोन्नति की कार्यवाही के पूर्व निम्न कार्यवाहियॉं पूर्ण किया जाना आवश्यक है :–

(अ) निर्विवादित ज्येष्ठता का होना।

(ब) पात्रता क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिका की प्रविष्टियां अद्यावधिक करना व प्रतिकूल प्रविष्टियों को संसूचित कर, उनके विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण।

(ब) आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व

आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण कोषागार नियम और उसके अधीन बनाई गयी विभिन्न वित्तीय नियमावलियों द्वारा किया गया है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को उक्त नियमावलियों के साथ–साथ बजट मैनुअल, विभागीय मैनुअल, भविष्य निधि नियमावली, पेंशन नियमावली, आयकर अधिनियम एवं नियम, यात्रा भत्ता नियम तथा वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं में दिये गये नियमों का अनुपालन करना होता है। उपर्युक्त के साथ ही प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग तथा विभागाध्यक्षों के स्तर से समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी किसी कार्यालय विशेष के समस्त शासकीय लेन–देन अथवा वित्तीय व्यवहारों के सम्यक संचालनार्थ उत्तरादायी होते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के प्रमुख कर्तव्यों एवं दायित्वों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि वह :–

1. सरकारी धन की प्राप्ति स्वीकार करने, प्राप्त धन की सुरक्षित अभिरक्षा करने तथा उसे अनावश्यक विलम्ब किये बिना कोषागारों में सही लेखा–शीर्षक के अन्तर्गत जमा करने की व्यवस्था करें।

2. धन की प्राप्ति व उसको कोषागार में जमा करने सम्बन्धित प्रत्येक लेन–देन को लेखाबद्ध करें ।

3. सरकार द्वारा देय भुगतान हेतु कोषागार से विधिवत आहरण, आहरित धनराशि की सुरक्षित अभिरक्षा तथा प्रत्येक मद का सही व्यक्ति को यथा समय भुगतान कर लेन–देन सम्बन्धित लेखों में करने के उपरान्त उनका उचित रीति से रख–रखाव व वांछित विवरणियों का प्रेषण यथा समय करें।

4. कार्यालय में कार्यरत सभी सरकारी सेवकों से सम्बन्धित सेवा अभिलेखों और भविष्य निधि से सम्बन्धित लेखों व पास बुकों का रख–रखाव करें तथा सरकारी सेवकों के वेतन से कटौती का अभिलेख रखें तथा उनकी अभिरक्षा करें। उचित कटौतियों को करने व उनसे सम्बन्धित अनुसूचियों को विधिवत तैयार कर उनकों बिलों के साथ संलग्न करने का दायित्व भी आहरण एवं संवितरण अधिकारी का ही है।

5. नकद लेन–देन करने वाले कर्मचारी व स्टोर के प्रभारी कर्मचारी से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व नियमों द्वारा निर्धारित जमानत की धनराशि जमा करवा लें तथा सुनिश्चित करें कि धन का गबन व सरकारी वस्तुओं का दुरुपयोग न होने पाये।

6. विभिन्न नियमावलियों के अर्न्तगत निर्धारित रजिस्टरों का रख–रखाव उचित रुप से करें।

7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्यालय जिसका वह आहरण एवं संवितरण अधिकारी है, से सम्बन्धित मासिक व्यय की मानक मदवार सूचना प्रपत्र बी0एम0–8 पर अनुवर्ती माह के प्रथम सप्ताह में विभागाध्यक्ष को नियमित रुप से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(स) <u>सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली</u>

सरकारी कार्मिकों एवं सरकार के बीच स्वामी और सेवक का सम्बन्ध होता है। स्वामी द्वारा अपने सेवकों से यह अपेक्षा की जानी स्वाभाविक है कि वह अपना कार्य एवं व्यवहार इस प्रकार करें कि उससे स्वामी की छवि खराब न हो। सेवकों का कोई भी दुराचरण सरकार की छवि को धूमिल कर सकता है। अतः सरकार अपने सेवकों के लिए जनता के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में आचरण विनियमन करने के लिए आचरण नियमावली का निर्माण करती है। आचरण नियमावली के कतिपय महत्वपूर्ण नियम निम्नांकित हैं :–

1. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी पूरे समय परम सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य परायणता से कार्य करता रहेगा। पूर्ण सत्यनिष्ठा का अर्थ सच्चाई, ईमानदारी एवं शुद्धता से है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी से पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाये रखने की अपेक्षा की जाय तो यह कहा जायेगा कि वह अपने को उस प्रशासकीय शिष्टता के घेरे में रखे जिसे सभ्य प्रशासन कहा जाता है। घूस लेना या अवैध पारितोषिक की मांग करना, अपनी आय के अनुपात से अधिक की सम्पत्ति क्रय करना या गलत लेखा तैयार करना, दुर्विनियोजन करना, गलत व्यक्ति को प्रोत्साहित करना आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो सत्यनिष्ठा के विपरीत हैं। कर्तव्य परायणता की परिभाषा, सेवा के प्रति पूर्ण निष्ठा से संबंधित है। ऐसा सरकारी कार्मिक जो कर्तव्य के प्रति समर्पित नहीं है, दुराचरण का दोषी है। वास्तव में सत्यनिष्ठा व कर्तव्य परायणता एक ही के प्रतिरुप हैं।

2. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी पूरे समय पर व्यवहार तथा आचरण नियमित करने वाले विशिष्ट या ध्वनित आदेशों के अनुसार आचरण करेगा। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी चाहे वह अस्थाई, हो अथवा स्थाई या अन्य किसी प्रकिया द्वारा नियोजित हो, को शासन द्वारा समय–2 पर जारी किये गये वैधानिक आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक है। यदि सरकारी कर्मचारी सत्यनिष्ठा व कर्तव्य परायण नहीं है अथवा वह विशिष्ट या ध्वनित आदेशों का अनुपालन नहीं करता है तो उसका कृत्य दुराचरण की श्रेणी में आयेगा।

3. कोई सरकारी कर्मचारी, किसी महिला के कार्यस्थल पर उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।

4. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगा।

5. किसी भी क्षेत्र, जहाँ वह उस समय विद्यमान हो, मादकपान अथवा औषधि सम्बन्धी जारी किसी भी आदेश का दृढ़ता से पालन करेगा।

6. कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल अथवा किसी ऐसी संस्था जो राजनीति में भाग लेती है, का न तो सदस्य होगा और न उससे सम्बन्ध रखेगा। वह किसी ऐसे आन्दोलन में या संस्था में हिस्सा नही लेगा, न उसकी सहायता के लिए चन्दा देगा या किसी रीति से उसकी मदद ही करेगा जो प्रत्यक्ष रुप से सरकार के प्रति विद्रोहात्मक कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करे।

7. सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन में रुकावट नहीं है, लेकिन वह ऐसा प्रदर्शन नहीं करेंगे अथवा ऐसे प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं होगा, जो भारत राष्ट्र की अखण्डता, प्रभुता एवम् सुरक्षा तथा मर्यादित आचरण व विधिक व्यवस्था के प्रतिकूल हो।

8. सरकारी सेवक अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से संबंधित मामले में न तो हड़ताल करेंगे और न हड़ताल करने के लिए उत्प्रेरित करेंगे।

9. कोई सरकारी सेवक बिना शासन की पूर्वानुमति के किसी समाचार पत्र अथवा अन्य नियतकालिक प्रकाशन का पूर्णतः अथवा अंशतः स्वामी नही बनेगा और न संचालन करेगा और न ही उसके सम्पादन या प्रबंधन में भाग लेगा।

10. कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में अपने नाम से अथवा गुमनाम अथवा किसी अन्य नाम से किसी लेख अथवा समाचार पत्र में भेजे गये पत्र अथवा किसी सार्वजनिक स्थान में कोई ऐसे तथ्य की बात या मत व्यक्त नहीं करेगा, जिससे उत्तराखण्ड सरकार, केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार की नीतियों अथवा वरिष्ठ पदाधिकारियों के निर्णयों की प्रतिकूल आलोचना होती हो।

11. सरकारी कर्मचारियों के पास गोपनीय तथा अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। इस नियम के तहत् कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई सरकारी कर्मचारी को अथवा अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा लेखा रखने अथवा सूचना पाने का विधिक अधिकार नहीं है, को न तो देगा और न ही उसके पास जाने देगा। इसी प्रकार किसी भी पत्रावली की टीप का उद्धरण भी नहीं किया जा सकता है।

12. कोई सरकारी कर्मचारी बिना शासन की पूर्वानुमति के स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका निकट संबंधी न हो कोई भेंट, अनुग्रह, धन

या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा और न ही अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी भेंट, अनुग्रह, धन या भेंट स्वीकार करने की अनुमति देगा।

13. कोई भी सरकारी सेवक न तो दहेज लेगा न उसके देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा और न ही वर–वधू या वर–वधू के माता पिता या उसके संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से किसी दहेज की मांग करेगा।

14. कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी व्यापार या कारोबार में नहीं लगेगा और न ही कोई नौकरी करेगा।

15. कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से सम्बन्धित अपने हितों के सम्बन्ध में किसी मामले में कोई राजनीतिक अथवा अन्य बाह्यय साधनों से न तो स्वंय अथवा अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रभाव डालेगा या प्रभाव डलवाने का प्रयास करेगा।

(द) अवकाश नियम

अवकाश के सम्बन्ध में कतिपय प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं :–

1. अवकाश केवल ड्यूटी देकर ही उपार्जित किया जाता है। इस नियम के लिए बाह्यय सेवा में व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी माना जाता है, यदि ऐसी अवधि के लिए अवकाश वेतन के लिए अंशदान का भुगतान कर दिया गया है।
2. विशेष विकलांगता अवकाश के अतिरिक्त मूल नियमों के अन्तर्गत देय अन्य अवकाश शासन के अधीनस्थ उन प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिन्हें राज्यपाल, नियम या आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर दें। विशेष विकलांगता अवकाश राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
3. अराजपत्रित सरकारी सेवकों को विशेष विकलांगता अवकाश के अतिरिक्त मूल नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य कोई भी अन्य अवकाश उस प्राधिकारी द्वारा जिसका कर्तव्य उस पद को यदि वह रिक्त होता, भरने का होता या वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 के भाग 4 में उल्लिखित किसी अन्य निम्नतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिहित अधिकार सीमा के अधीन रहते हुए प्रदान किया जा सकता है।
4. राजपत्रित अधिकारियों को अवकाश देने के लिए साधारणतया शासन की स्वीकृति की आवश्यकता है, किन्तु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 के भाग–4 में उल्लिखित किसी अन्य निम्नतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिहित अधिकारी सीमा के अधीन रहते हुए अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
5. किसी अवकाश का दावा या मांग, अधिकार स्वरुप नहीं किया जा सकता है। अवकाश लेने का दावा ऐसे नहीं किया जा सकता है जैसे कि वह एक अधिकार हो। जब जन सेवाओं की आवश्यकताएं ऐसी अपेक्षा करती हों, तो किसी भी प्रकार के अवकाश को निरस्त करने या अस्वीकृत करने का अधिकार, अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम

प्राधिकारी के पास सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी, किसी अवकाश को जनहित में अस्वीकृत करने के लिए पूर्णतया सक्षम है।

6. अवकाश साधारणतया कार्यभार छोड़ने से प्रारम्भ होता है तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के पूर्ण दिवस को समाप्त होता है।

7. बिना प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये कोई सरकारी सेवक अवकाश काल में कोई लाभप्रद व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकता है। नियमतः अवकाश काल में कोई भी राजकीय कर्मचारी अन्यत्र कोई सेवा धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं कर सकता जब तक कि इस संबध में उसके द्वारा सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये।

8. जन सेवा के हित में अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाशाधीन सरकारी कर्मचारी को अवकाश का पूर्ण उपभोग किये बिना ड्यूटी पर वापस बुलाने का अधिकार है।

9. चिकित्सा अवकाश का उपभोग करने के उपरान्त किसी भी कर्मचारी को सेवा में योगदान करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती तब तक कि उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता। यदि सक्षम अधिकारी चाहे तो अस्वस्थता पर लिये गये किसी अन्य श्रेणी के अवकाश के मामले में भी उपरोक्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र मांग सकता है।

10. यदि कोई राजकीय कर्मचारी, अवकाश अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी अनुपस्थित रहता है तो उसे ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं होगा एवं उक्त अवधि अर्ध औसत वेतन पद अवकाश के रुप में रेखांकित की जायेगी जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश अवधि बढ़ा न दी गयी हो। यदि बाद में वह अनुपस्थिति की अवधि का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो इस अवधि को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर देय अवकाश से घटा दिया जायेगा किन्तु कोई अवकाश वेतन भुगतान नहीं किया जायेगा।

11. अवकाशोपरान्त जान बूझकर सेवा से अनुपस्थिति, दुर्व्यवहार की श्रेणी में आती है एवं दण्डनीय अपराध है।

12. सरकारी सेवक को निलम्बन की अवधि में अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता।

13. सरकारी सेवक जिसे दुराचरण अथवा सामान्य अक्षमता के कारण सेवा से निकाला या हटाया जाना अपेक्षित हो, को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

14. सरकारी कर्मचारियों को मुख्यतः निम्नांकित प्रकार के अवकाश अनुमन्य होते हैं जिनका उपभोग निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है :–

1. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
2. अर्जित अवकाश (Earned Leave)
3. निजी कार्य पर अवकाश (Leave on Private Affairs)
4. चिकित्सा अवकाश (Leave on Medical Certificate)
5. मातृत्व अवकाश (Matrenity Leave)
6. असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave)
7. हॉस्पिटल अवकाश (Hospital Leave)
8. अध्ययन अवकाश (Study Leave)
9. विशेष विकलांगता अवकाश (Special Disability Leave)

10. लघुकृत अवकाश (Commuted Leave)
11. रोजगार अवकाश (Rozgar Leave)
12. प्रतिकर अवकाश (Compensatory Leave)
13. संगरोध अवकाश (Quarantive Leave)
14. दीर्घावकाश (Vacation Leave)
15. बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave)

(य) अनुशासनिक कार्यवाही

सरकारी सेवकों के अनुशासित, चरित्रवान, ईमानदार एवं कर्तव्य परायण होने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली में उल्लिखित आचरण के प्रतिकूल आचरण अर्थात दुराचरण में प्रवृत्त होने वाले लोक सेवकों को सम्यक दण्ड देने के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, विभागीय कार्यवाही या प्रशासनिक कार्यवाही निम्नानुसार की जा सकती है :–

(1) जाँच कराने का विनिश्चय।
(2) जाँच अधिकारी की नियुक्ति।
(3) आरोप–पत्र तैयार करना।
(4) आरोपित सेवक को आरोप–पत्र तामिल करना।
(5) आरोपित सेवक को लिखित कथन प्रस्तुत करने का समय देना।
(6) आरोपित सेवक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना।
(7) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करना।
(8) आरोपित सेवक को बचाव सहायक की सहायता लेने की अनुमति देना।
(9) अभियोजन पक्ष अर्थात, विभाग का साक्ष्य लेना।
(10) बचाव पक्ष अर्थात आरोपित सेवक का साक्ष्य लेना।
(11) आरोपित सेवक से, उसके विरुद्ध साक्ष्य में आयी परिस्थितियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ कर स्पष्टीकरण लेना।
(12) बहस सुनना।
(13) साक्ष्य का अधिमूल्यन करना।
(14) जॉच रिपोर्ट तैयार करना।
(15) अनुशासनिक प्राधिकारी का अनन्तिम विनिश्चय।
(16) आरोपित सेवक को जॉच रिपोर्ट की प्रतिलिपि देकर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देना।
(17) अनुशासनिक प्राधिकारी का अन्तिम विनिश्चय।
(18) लोक सेवा आयोग से परामर्श (यदि आवश्यक हो)
(19) दण्डादेश।

(र) टिप्पणी व पत्राचार

किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण को सुगम बनाने तथा तत्सबंधी वस्तुस्थिति का पूर्ण रुप से स्पष्टीकरण करने के लिए जो लेख अंकित किया जाता है, उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी लिखने का उददेश्य उन विषयों को, जिन पर निर्णय लिया जाना है, स्पष्ट रुप से तर्क सहित प्रस्तुत करना है। सुगम निर्णयन हेतु टिप्पणी लिखने तथा तद्नुसार पत्रालेख प्रस्तुत करने में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए :-

1. सरलता व स्पष्टता।
2. शुद्धता व पूर्णता।
3. शिष्टता व संक्षिप्तता।
4. संयत व भद्रजनोतित भाषा।
5. सम्बोधन व स्वनिर्देश का सावधानीपूर्वक प्रयोग।

पत्रों के प्रकार

1. शासनादेश (Government Order)
2. शासकीय पत्र (Official Letter)
3. परिपत्र (Circular)
4. द्रुतगामी (Fast Speed)
5. अर्धशासकीय पत्र (Demiofficial Letter)
6. अशासकीय पत्र (Unofficial Letter)
7. पृष्ठांकन (Endorsement)
8. कार्यालय ज्ञाप (Official Memorundum)
9. कार्यालय आदेश (Official Order)
10. विज्ञप्ति/अधिसूचना (Notification)
11. प्रेस विज्ञप्ति (Press Communique)
12. संकल्प (Resolution)
13. उद्घोषणा (Declaration)
14. अनुस्माक (Reminder)

वित्त विभाग के कतिपय महत्वपूर्ण शासनादेशों की सूची

1. स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेन्शन आदि में अतिरिक्त सेवा के लाभ का दिया जाना	संख्या : 5/7/77 (3) कार्मिक–1 दिनांक 24–8–1977
2. सेवानिवृत सरकारी सेवकों जिनके विरुद्ध वैभागिक अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जांच चल रही हो को अनन्तिम पेन्शन का भुगतान	संख्या : 3–1679/दस–80–909–79 दिनांक 28–10–1980
3. राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और उनके परिवार के आश्रितों को श्रवण यंत्र तथा कृत्रिम दन्तावली की सुविधा	संख्या : एम0एम0 188/5–7–1035–86 दिनांक 24 जून 1987
4. सेवारत सरकारी सेवकों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को श्रवण यंत्र तथा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों (जिनमें राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी सम्मिलित हैं) व उनके परिवार के आश्रितों को श्रवण यंत्र तथा कृत्रिम दंतावली की सुविधा हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण	संख्या 3652/5–7–1035–86 दिनांक 3 अक्टूबर 1988
5. राज्य सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी तथा उनके परिवार के आश्रितों को कृत्रिम अंगों, पेसमेकर आदि की सुविधायें	संख्या : 1402/5–7–89–1035/86 दिनांक 11 मई 1989
6. राज्य विश्वविद्यालयों में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर विधिवत् चयनित एवं नियुक्त अध्यापकों की नवनियुक्ति के समय पूर्व संस्थाओं में उनके द्वारा प्राप्त किये गये मूल वेतन का संरक्षण	संख्या 3741/पन्द्रह (15)–41 (1)/80 दिनांक 20 जून 1989
7. अस्थाई सरकारी सेवकों की सेवा निवृत्ति /मृत्यु पर पेन्शनरी लाभों की अनुमन्यता	संख्या : सा–3–1152/दस–915–89 दिनांक 1 जुलाई 1989
8. अधिवर्षता पेन्शन, पारिवारिक पेन्शन, मृत्यु/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की धनराशि की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने हेतु वर्तमान कार्य प्रणाली का सरलीकरण	संख्या सा–3–1713/दस–87–933/89 दिनांक 28 जुलाई 1989
9. सार्वजनिक उपक्रम/निगम, विश्वविद्यालय में कार्यरत सेवकों की राजकीय सेवा में नियुक्ति पर वेतन संरक्षण/निर्धारित की सुविधा प्रदान किया जाना	संख्या जी 2–359/दस–1998 दिनांक 12 जून 1998
10. सेवा निवृत्ति आदि मामलों में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि का नकद भुगतान	संख्या : सा–4–393/दस–99–200/88 दिनांक 1 जुलाई 1999
11. उत्तर प्रदेश राज्य के पुर्नगठन के फलस्वरुप उत्तर प्रदेश राज्य के सेवा निवृत्ति सरकारी सेवकों के सेवा नैवृत्तिक लाभों के भुगतान की प्रक्रिया	संख्या सा–3–1783/1दस–2000–308(9)–2000 दिनांक 8 नवम्बर 2000
12. उत्तरांचल गठन के फलस्वरुप भविष्य निधि से सम्बन्धित भुगतान	संख्या 0058/वि0स0/कैम्प/200–2001 दिनांक 29 नवम्बर 2000

13. 9 नवम्बर 2000 या तदुपरान्त सेवानिवृत्त उत्तरांचल राज्य हेतु नियुक्त या विकल्प देने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा नैवृत्तिक लाभ स्वीकृत करने के सम्बन्ध में	संख्या 0045/स0वि0उ0/कैम्प/2000 दिनांक 29 दिसम्बर 2000
14. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2009 के अधीन दिनांक 9 नवम्बर 2000 के पूर्व के अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में	संख्या 0037/26–स0वि0/कैम्प/2001 दिनांक 5 फरवरी 2001
15. सरकारी कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान तथा प्रभावी लेखा प्रणाली हेतु कोषागारों में "एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली" लागू किया जाना	संख्या 235/21/वि0अनु0–1/2001 दिनांक 06 दिसम्बर 2001
16. उत्तरांचल क्षेत्र में पर्वतीय विकास भत्ता	संख्या 692/वि0अनु0–3/2002 दिनांक 11 फरवरी 2003
17. उत्तरांचल सामान्य भविष्य निधि संशोधन नियमावली, 2007	संख्या 277 xxvii /(7) 2007 दिनांक 24 अक्टूबर 2007
18. दिनांक 1 अक्टूबर 2005 से लागू अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धी शासनादेश संख्या 21/xxvii (7)/अं0पें0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 का स्पष्टीकरण	संख्या : 3259/नि0ले0ह0/13/अं0पें0यो0/2008 दिनांक 2 जनवरी 2008
19. छठें केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के कम में केन्द्र सरकार की भांति 1–1–2006 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण किया जाना	संख्या 5421/ xxvii (7) पेंशन /2008 दिनांक 27 अक्टूबर 2008
20. राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की संस्तुति के कम में 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित महंगाई राहत स्वीकृत किया जाना।	संख्या 420/ XXVII (7) म.रा./2008 दिनांक 27 अक्टूबर 2008
21. छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार के द्वारा लिए गये निर्णयों के कम में वेतन समिति 1 उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1.1.2006 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का पेंशन/ग्रैच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रकिया में संशोधन	संख्या 419/ XXVII (7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर 2008
22. उत्तराखण्ड रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (संशोधन) नियमावली 2009	संख्या : 26 xxvii (7)/2008 दिनांक 30 जनवरी 2009
23. वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार के सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–पे की स्वीकृति तथा पेंशन का पुनरीक्षण	संख्या 25/ XXVII (7) द्वि0प्रति0/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009
24. उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मसिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक	संख्या 37 (1)/ XXVII (7)/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009

1. जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण	
25. वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन	संख्या 38/ XXVII (7) म0कि0/2008 दिनांक 13 फरवरी 2009
26. वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार पर्वतीय विकास भत्ता की दरों में संशोधन	संख्या 39/XXVII (7) प0वि0भ0/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009
27. स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था	संख्या 40/XXVII (7) स्वै0परि0क0/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009
28. दिनांक 1-1-2006 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण के संबंध में	संख्या 41/XXVII (7) सी0नर्ती0/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009
29. वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णय के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता की दरों में संशोधन	संख्या 42/XXVII (7) प0वि0भ0/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009
30. उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 1 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण	संख्या 37 /XXVII (7) सा0बी0यो0/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009
31. राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगतान के प्रकरण छ: माह पूर्व महालेखाकार कार्यालय से मिलान हेतु प्रेषित किया जाय	संख्या : 82/ xxvii (1)/2008 दिनांक 13 फरवरी 2009
32. उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अर्न्तगत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण	संख्या : 37/ xxvii (सा0बी0यो0)/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009
33. सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन/एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (ए0सी0पी0) लागू किया जाना	संख्या 75/ XXVII (7) ए0सी0पी0/2009 दिनांक 28 फरवरी 2009
34. यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण	संख्या 78/XXVII (7)/2009 दिनांक 1 मार्च 2009
35. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान में आ रही विसंगति के निराकरण के संबंध में 31-7-2007 के शासनादेश का स्पष्टीकरण	संख्या : 86 xxvii (7)/2009 दिनांक 12 मार्च 2009
36. यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन का शुद्धि पत्र	संख्या 100/ xxvii (7)/2008/ दिनांक 31 मार्च 2009
37. दिनांक 1-1-2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए राज्य सरकार के पेंशनर्स का दिनांक 1-1-2006 के बाद पुनर्नियुक्ति होने पर वेतन का निर्धारण	संख्या : 218/ xxvii (7)/2009 दिनांक 12 अगस्त 2009
38. एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के माध्यम से वेतन के अतिरिक्त	संख्या : 1259/ xxiv (7)/2009

नियमित रूप से स्वीकृत होने वाले मंहगाई भत्ते का कोषागारों द्वारा भुगतान किया जाना	दिनांक 25 नवम्बर 2009
39. यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण	संख्या 411 / XXVII (7) 2010 दिनांक 06 जनवरी 2010
40. वेतन समिति की संस्तुतियों के कम में समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए संशोधन वेतन संरचना में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाय	संख्या : 83 / xxvii (7) / 2010 दिनांक 7 जनवरी 2010
41. राज्य सरकार के कर्मियों के लिए भारत सरकार की मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अनुरुप व्यवस्था लागू किया जाना	संख्या 444 / XXVII (7) ए0सी0पी0 (1) / 2010 दिनांक 09 फरवरी 2010
42. विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन	संख्या 443 / XXVII (7) / 2010 दिनांक 9 फरवरी 2010
43. एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के माध्यम से वेतन, महंगाई भत्ता, एरियर / पेंशन का कोषागारों द्वारा भुगतान करने की वर्तमान प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाये जाने के सम्बन्ध में	संख्या : 232 / xxvii / 2010 दिनांक 19 अप्रैल 2010
44. सेवानिवृत्त कर्मचारियों / अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगतान के प्रकरण छः माह पूर्व महालेखाकार कार्यालय से मिलान हेतु प्रेषित किया जाना	संख्या : 300 / xxvii (1) / 2010 दिनांक 03 जून 2010
45. अंशदान पेंशन योजना	संख्या : 643 / xxvii (7) / 2010 दिनांक 11 अगस्त 2010
46. उत्तराखण्ड राज्य के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण	संख्या 488 / XVII -2 / 2010–06(39) / 2005 दिनांक 19 अगस्त 2010
47. दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों के फलस्वरुप एक माह के वेतन के बराबर भुगतान किये गये मानदेय के अवशेष भुगतान के संबंध में	संख्या 726 / XXVII (7) / 2010 दिनांक 14 अक्टूबर 2010
48. स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन विषयक शासनादेश संख्या 40 / XXVII (7) स्वा0 प0क0 / 2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 में संशोधन	संख्या 736 / XXVII (7) स्वा0प0क0 / 2010 दिनांक 27 अक्टूबर 2010
49. पूर्व वेतनमान में समयमान वेतनमान वाले पद के पुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड पे के पद पर पदोन्नति होने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य करने के संबंध में	संख्या 729 / XXVII (7) / 2010 दिनांक 29 अक्टूबर 2010
50. पेंशनर्स की पेंशन का पुनरीक्षण	संख्या : 835 / xxvii (7) / 2011 दिनांक 28 फरवरी 2011
51 वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में	संख्या 875 / XXVII (7) वा0 प्रति0 / 2011 दिनांक 08 मार्च 2011

52. राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था	संख्या 872 / XXVII (7) न0 प्रति0 / 2011 दिनांक 8 मार्च 2011
53. राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेण संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन / उच्चीकृत के संबंध में	संख्या 877 / XXVII (7)च0श्रे0 / 2011 दिनांक 24 मार्च 2011
54. राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन / उच्चीकृत किये जाने संबंधी शासनादेश सं0 877 / XXVII (7)च0श्रे0 / 2011 दिनांक 24 मार्च 2011 का संशोधन	संख्या 888 / XXVII (7)च0श्रे0 / 2011 दिनांक 24 मार्च 2011
55. राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का दिनांक 01–01–2006 से काल्पनिक आधार पर तथा दिनांक 24–3–2011 से वास्तविक आधार पर संशोधन	संख्या 07 / XXVII (7) / 27(V) / 2011 दिनांक 06 अप्रैल 2011
56. राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन / उच्चीकरण विषय शासनादेश सं0 877 / XXVII (7)च0श्रे0 / 2011 दिनांक 24 मार्च 2011 के प्रस्तर–3 में संशोधन	संख्या 63 / XXVII (7) 27 (8) / 2011 दिनांक 05 जुलाई 2011
57. आशुलिपिक संवर्ग के पदनाम	संख्या 963 / XXX(2) / 2011 दिनांक 25 जुलाई 2011

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 शिक्षा / 136–23–6–2012–300 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / रीजियो)।